### केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

#### भाग-IV

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का संगठनात्मक चार्ट

	अध्यक्ष										
सदस्य (बजट)	सदस्य (सीए	क्स)	सदस्य	` (सीमा	शुल्क)		सदस्य कर)	(सेवा	सदस्य एंड जे	•	सदस्य (पी एंड वी)
संयुक्त सचिव (टीआरयू-।) संयुक्त सचिव (टीआरयू-॥)	आयुक्त (सीएक्स) आयुक्त (समन्वय)	आयुक्त (पीएसी)	संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क)	संयुक्त सचिव (प्रतिअदायगी	आयुक्त (सीमा शुल्क एंड ईपी)	आयुक्त (आरआई एंड आई)	आयुक्त (एसटी)	आयुक्त (जीएसटी)	आयुक्त (विधिक)	संयुक्त आयुक्त (समीक्षा)	संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)

### केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की संरचना तथा कार्य

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित छ: सदस्य शामिल हैं :

- 1. अध्यक्ष
- 2. सदस्य (पी एंड वी)
- 3. सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद श्ल्क)
- 4. सदस्य (विधिक एवं न्यायिक)
- 5. सदस्य (सीमा शुल्क)
- 6. सदस्य (बजट)
- 7. सदस्य (सेवा कर)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के बीच कार्य का आवंटन।

# केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विचार किए जाने वाले मामले या मामलों की श्रेणियां।

- 1. केन्द्रीय उत्पाद श्ल्क एवं सीमा श्ल्क बोर्ड के सांविधिक कार्यों के निर्वहन के संबंध में नीति।
- 2. सामान्य नीति निम्नलिखित से संबंधित है।
- (क) कर योजना तथा सांविधिक प्रभार।
- (ख) अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों का संगठन।

- (ग) कार्मिक प्रबंधन और प्रशिक्षण।
- (घ) कार्य की विधि और प्रक्रिया, और
- (इ.) कार्य निष्पादन बजटिंग।
- 3. विधान से संबंधित प्रस्ताव।
- 4. समिति की सिफारिशों पर निर्णय।
- 5. 15 लाख रूपये से अधिक के मामले में राजस्व को बट्टे खाते में डालना या छोड़ना।
- 6. पुरस्कार तथा प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करना।
- 7. कोई अन्य मामला जिसे अध्यक्ष के द्वारा या अध्यक्ष की अनुमित से सदस्य के द्वारा बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

टिप्पणी : उपर्युक्त विषयों से संबंधित मामले बोर्ड के विचारार्थ अध्यक्ष के द्वारा या सदस्य के द्वारा जिसके चार्ज में संबंधित विषय व्यापक रूप से आता है, लिए प्रायोजित किए जाएंगे।

### मामले या मामलों की श्रेणियां जिन पर अध्यक्ष, सीबीईसी के द्वारा विचार किया जाएगा।

- 1. बोर्ड के कार्य का समन्वय तथा समग्र निरीक्षण जिसमें सदस्यों के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा तथा निरीक्षण भी शामिल है। अध्यक्ष के कार्यों की निम्नलिखित मदें उन तक संबंधित सदस्यों द्वारा पहुंचायी जाएगी।
- 2. इस आदेश में आवंटित किए गए कार्य या उत्पन्न सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले विशेष रूप से निम्नलिखित से संबंधित हैं:
- (क) राजस्व की वसूली का अन्मान तथा इसे प्राप्त करने के उपाय।
- (ख) सतर्कता मामलों के सहित समूह क अधिकारियों से संबंधित प्रशासनिक तथा सेवा मामले।
- (ग) लोक शिकायत।
- (घ) महत्वपूर्ण या उच्च राजस्व स्टेक्स; सिहत न्यायालयीय तथा ट्रिब्यूनल मामले; और
- (इ.) आसूचना विचार-विमर्श, बातचीत, समझौता तथा कांफ्रेस तथा अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस तथा बैठकों में प्रतिनिधित्व।
- 3. बजट मामले तथा श्ल्क छूट।
- 4. अफीम तथा नॉरकोटिक्स से संबंधित मामले।
- 5. विश्व सीमा श्ल्क संगठन, विश्व व्यापार संगठन तथा ईएससीएपी तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
- (क) कोई अन्य मामला जिसे अध्यक्ष या संबंधित सदस्य अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक समझे।
- (ख) डीजी (सतर्कता)/ सीवीओ कार्यालय से संबंधित सारा कार्य अध्यक्ष की निगरानी में किया जाएगा।

# मामले या मामलों की श्रेणियां जिन पर सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के द्वारा विचार किया जाएगा।

- 1. केन्द्रीय उत्पाद श्ल्क अधिनियम तथा नियम- कानून तथा व्याख्या;
- 2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रियाएं;
- 3. टैरिफ वर्गीकरण;
- 4. राजस्व बकाया;
- 5. औषधीय तथा सौंदर्य प्रशासन अधिनियम;
- 6. बोर्ड के अंदर तकनीकी समन्वय;
- 7. एलटीयू;
- 8. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित पीएसी मामले जिनमें उन पर सी एंड एजी रिपोर्ट भी शामिल है;
- 9. (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महा-निदेशक, (ii) कार्य निष्पादन प्रबंधन (iii) लेखा-परीक्षा से संबंधित कार्य;
- 10. केन्द्रीय उत्पाद श्ल्क मामलों में अभियोजन।

### मामले या मामलों की श्रेणियां जिन पर सदस्य (सीमा शुल्क) के द्वारा विचार किया जाएगा।

- 1. सीमा शुल्क कानून तथा इसकी व्याख्या तथा अनुप्रयोग, नीति तथा व्यापक प्रक्रियाएं (तस्कररोधी से संबंधित प्रक्रियाओं के अलावा)
- 2. आयात और निर्यात पर आईटीसी, ईटीसी तथा अन्य प्रतिबंध या निषेध;
- 3. आयात तथा निर्यात विदेश यात्रा कर तथा उपकर;
- 4. बैगेज रियायतें तथा नियमावली;
- 5. सीमा शुल्क मूल्यांकन;
- 6. टैरिफ वर्गीकरण, टैरिफ एडवाइसेस;
- 7. सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, सीमा शुल्क हाऊस एजेंट विनियमावली
- 8. भण्डारण, इनलैण्ड बॉण्डेज वेयर हाऊस
- 9. एफटीजेड, ईपीजेड, 100% ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी तथा अन्य विशेष निर्यात योजनाएं
- 10. विश्व सीमा शुल्क संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ईएससीएपी तथा सीमा शुल्क से संबंधित संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय वार्ता तथा समझौते।
- 11. प्रतिअदायगी से संबंधित मामले
- 12. एग्जिम पॉलिशी में निर्यात प्रमोशन से संबंधित मामले
- 13. राजस्व आसूचना तथा तस्कर रोधी
- 14. रक्षोपाय से संबंधित सभी मामले
- 15. उपर्युक्त विषयों से संबंधित सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रिया

- 16. उपर्युक्त कार्य की मदों तथा प्रतिअदायगी महानिदेशालय से संबंधित सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद श्ल्क कार्यालयों का निरीक्षण तथा उन पर नियंत्रण
- 17. निर्यात संवर्धन तथा संबंधित मामलों में अन्य मंत्रालयों से समन्वय
- 18. मूल्यांकन
- 19. निम्नलिखित का निरीक्षण तथा उन पर नियंत्रण :
- (क) राजस्व आसूचना महानिदेशालय (ख) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय (ग) रक्षोपाय मूल्यांकन
- (ख) लॉजिस्टिक निदेशालय
- (ग) केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला

### मामले या मामलों की श्रेणियां जिन पर सदस्य (विधि एवं न्यायिक) के द्वारा विचार किया जाएगा।

- 1. सीबीईसी में कम्प्यूटरीकरण तथा बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग से संबंधित सभी मामले
- 2. अन्य मंत्रालयों, विभागों से प्राप्त सभी विधायी प्रस्ताव, उन प्रस्तावों को छोड़कर जो सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ तथा सेवा कर से संबंधित हैं।
- 3. बोर्ड में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर से संबंधित न्यायिक तथा अदालती कार्य (सेवा मामलों से संबंधित कार्य को छोड़कर)
- 4. क्षेत्रीय कार्यालयों के सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर से संबंधित न्यायिक तथा अदालती कार्य का निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग विशेषकर उच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी से संबंधित कार्य, अभियोजन, कोफेपोसा को छोड़कर
- 5. सरकारी विभाग तथा अन्य सरकारी विभाग तथा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के समझौते से संबंधित मामले।
- 6. सीमा शुल्क अधिनियम या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ वित्त अधिनियम, 1994 के तहत आयुक्तों के द्वारा पारित आदेशों के प्नरीक्षण का कार्य
- 7. आयुक्त तथा आयुक्तों (अपील) के द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा यह विचार करने के लिए कि यह अपील सेस्टेट को फाइल की जानी अपेक्षित है।
- 8. निम्नलिखित कार्यों से संबंधित कार्य :-
- (क) डीजी (प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन)
- (ख) सीडीआर
- (ग) विधिक मामले निदेशालय
- (घ) समझौता आयोग
- (इ.) सेस्टेट
- (च) अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण

9. सीमा श्ल्क मामले, कोफेपोसा में अभियोजन तथा संबंधित कार्य

### मामले या मामलों की श्रेणियां जिन पर सदस्य (कार्मिक एवं सतर्कता) के द्वारा विचार किया जाएगा।

- 1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्मिक प्रबंधन में शामिल हैं:
  - i. भर्ती, भर्ती नीति तथा भर्ती नियम
  - ii. सेवा मामले, वेतनमान आदि
  - iii. सीबीईसी के तहत निय्क्ति, स्थानांतरण तथा विभाग में प्रोन्नति तथा सेवा
  - iv. प्रशिक्षण
  - v. सतर्कता
  - vi. मानक विकास तथा कार्य निष्पादन मानदण्ड तथा
  - vii. स्टाफ कल्याण
- 2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा सम्बद्ध मामले
- 3. सीबीईसी के तहत सभी कार्यालयों में भूमि तथा इमारत कार्यक्रम
- 4. सेवा मामलों से संबंधित म्कदमा
- 5. प्रचार, जन सम्पर्क तथा सहायता केन्द्र
- 6. नासेन महानिदेशालय, मानव संसाधन विकास तथा डीजी, (सतर्कता) के कार्यों से संबंधित कार्य मामले या मामलों की श्रेणियां जिन पर सदस्य (बजट) के द्वारा विचार किया जाएगा। कर अनुसंधान एकक के कार्य का निरीक्षण :
- नीति तैयार करना तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सीमा शुल्क/ सेवा कर को लगाना
   मामले या मामलों की श्रेणियां जिन पर सदस्य (करदाता सेवाएं) के द्वारा विचार किया जाएगा।

सेवा कर पॉलिशी विंग के कार्य का निरीक्षण जिसमें माल एवं सेवा कर भी शामिल है।

जीएसटी पॉलिशी विंग से संबंधित कार्यों में संबंधित विधान, जीएसटीसी सचिवालय संबंधी सीबीईसी के विचारों को तैयार करना, जीएसटी से संबंधित मामलों पर व्यापार तथा उद्योग के साथ सीबीईसी इंटरफेस के रूप में कार्य करना, अधिकार प्राप्त समिति के साथ वार्ता शामिल है।

डीजी (जीएसटी) डीजी करदाता सेवाएं

#### संगठन तथा कार्य

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर को लगाने तथा उसके संग्रहण की नीति को तैयार करने, तस्करी तथा करों के अपवंचन को रोकने तथा सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर कार्यालयों से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों को देखता है। बोर्ड सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय तथा निदेशालय के अपने क्षेत्रीय कार्यालयों की मदद से उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करता है। अध्यक्ष तथा सदस्यों को उनके क्षेत्रों में कर प्रशासन की बारीकी से निगरानी करने के लिए उन्हें विभिन्न जोन सौंपे गए हैं।

### सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क (निवारक) जोन

यूनियन कैबिनेट ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 को सीबीईसी के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के कैडर पुनर्संरचना तथा पुनर्संगठन की योजना को अनुमित प्रदान की है। पुनर्संगठित सगठनात्मक सेट-अप दिनांक 15.10.2014 से प्रारम्भ हो गया है। पुनर्संगठित संगठनात्मक सेट-अप के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित पुनर्गठन प्रस्ताव का सार			
क्र.सं.	कार्यालय	पूर्व सीआर	बाद की सीआर	
		सं.	सं.	
1	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर जोन	23	23 सीई+4एसटी	
2	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय	93	119	
3	सेवा कर आयुक्तालय	7	22	
4	लेखा परीक्षा आयुक्तालय	0	45	
5	सीमाशुल्क जोन	11	11	
6	सीमाशुल्क आयुक्तालय	35	60	
7	महानिदेशालय/निदेशालय/अन्य कार्यालय	19	19	

(i) इस समय 23 समेकित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर जोन, 4 अन्यय सेवाकर जोन, 119 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, और 22 सेवाकर आयुक्तालय काम कर रहे हैं। प्रत्येक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तलाय में मानक तौर पर 5 प्रभाग और 25 रेंज्स काम

करते हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुलक के ऐसे आयुक्तालय जो कि सेवाकर का भी काम देखते हैं, के पास एक अतिरिक्त प्रभाग और 5 रेजेंस होंगे जो कि केवल सेवाकर से संबंधित काम देखेगें।

समेकित केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर जोन तथा आयुक्तालय निम्नलिखित हैं:-

# केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन (जिनका प्रमुख प्रधान मुख्य आयुक्त होता है) :

चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, मुम्बई-।, कोलकाता, बड़ोदरा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन (जिनका प्रमुख मुख्य आयुक्त होता है): अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोचिन, कोयम्बतूर, जयपुर, मैसूर, मेरठ, मुम्बई-।।, नागपुर, पुणे, रांची, शिलांग, विशाखापत्तनम।

# केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय (जिनका प्रमुख प्रधान आयुक्त/ आयुक्त होता है):

चेन्नई-॥, चेन्नई-॥, चेन्नई-॥, चेन्नई-॥, पुडुचेरी, दिल्ली-॥, दिल्ली-॥, गुड़गांव-॥, गुड़गांव-॥, रोहतक, पंचक्ला, फरीदाबाद-॥, फरीदाबाद-॥, सोनीपत, हैदराबाद ॥, हैदराबाद-॥, हैदराबाद-॥, हैदराबाद-॥, हैदराबाद-॥, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, मुंबई-॥, मुंबई-॥, ठाणे-॥, ठाणे-॥, कोलकाता-॥, कोलकाता-।, कोलकाता-।, कोलकाता-।, कोलकाता-॥, कोलकाता-॥, कोलकाता-॥, कोलकाता-॥, कोलकाता-॥, कोलकाता-।, कोलकाता-।, कोलकाता-।, कुलसाड, सूरत-॥, सूरत-॥, दमन, भरूच, सिलवासा, आनन्द , हमदाबाद-॥, अहमदाबाद-॥, अहमदाबाद-॥, उहमदाबाद-॥, उहमदाबाद-॥, उहमदाबाद-॥, उहमदाबाद-॥, राजकोट, भावनगर, कच्छ, बंगलौर-॥, बंगलौर-॥, बंगलौर-॥, बंगलौर-।, खंगलौर-।, खंगलौर-।, खंगलौर-।, राजरकेला, चंडीगढ़-।, चंडीगढ़-॥, लुधियाना, जम्मू-कश्मीर, जालंधर, कोचीन, कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोयंबट्र, मदुरै, सलेम, तिरूनेलवेली, तिरुचिरापल्ली, जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर, मैसूर, मंगलौर, बेलगांव, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा-॥, वेहरादून, मुंबई-॥, मुंबई-॥, बेलापुर, रायगढ़, नासिक-॥, नामिक-॥, नागपुर-॥, औरंगाबाद, वर्धा, पुणे-। पुणे-॥, पुणे-॥, पुणे-॥, गुणे-॥, कोल्हापुर, रांची, बोकारो, पटना, धनबाद, जमशेदपुर, शिलांग, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, विशाखापट्नम, काकीनाडा, नेल्लोर, गुंटूर और तिरुपति,

सेवाकर जोन (जिनका प्रमुख मुख्य आयुक्त होता है): दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता

# सेवाकर आयुक्कतालय (जिनका प्रमुख प्रधान आयुक्त/ आयुक्त होता है):

अहमदाबाद, बंगलौर-।, बंगलौर-।।, चेन्नई-।, चेन्नई-।।, चेन्नई-।।, दिल्ली-।, दिल्ली-।।, दिल्ली-।।, दिल्ली-।।, दिल्ली-।।, दिल्ली-।।, हैदराबाद, कोलकाता-।, कोलकाता-।।, मुम्बई-।, मुम्बई-।।, मुम्बई-।।,

बड़ी करदाता ईकाइयां (जिसका प्रमुख मुख्य आयुक्त होता है): बंगलीर, कोलकाता, चेन्नई प्रधान आयुक्त/ आयुक्त एलटीयू मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और बंगलीर

- (ii) सीमाशुल्क के कार्यालय: पुनर्गठन के बाद ग्यारह (11) सीमा शुल्क जोन और 60 (साठ) सीमाशुल्क/ सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय हो गए हैं। इनको निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:-
  - (क) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और इसके सहायक अधिनियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन करना, जिनमें अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सीमा शुलक को लगाना और उसकी वसूली करना तथा प्रवर्तन कार्य करना भी शामिल है।
  - (ख) तटीय तथा भू-सीमा पर निगरानी रखना जिससे तस्करी के क्रियाकलापों को रोका जा सके। बोर्ड में समुंद्री और दूर संचार विंग भी है जो कि तस्करी विरोधी कार्यों संवेदनशील तटीय रेखा पर निगरानी करने में बोर्ड की मदद करता है।

जोन और आयुक्तालयों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-सीमाशुल्क जोन (जिसका प्रमुख प्रधान मुख्य आयुक्त होता है): मुम्बई-।

# सीमाशुल्क जोन (जिसका प्रमुख मुख्य आयुक्त होता है):

दिल्ली, मुम्बई-।।, मुम्बई-।।।, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, दिल्ली सीमाशुल्क (पी), पटना सीमाशुल्क (पी), तिरूचिरापल्ली सीमाशुल्क (पी), कोच्चिन सीमाशुल्क(पी), अहमदाबाद ।

# सीमाशुल्क आयुक्तालय (जिसका प्रमुख प्रधान आयुक्त होता है):

एसीसी (आयात) दिल्ली, आईसीडी तुगलकाबाद दिल्ली, मुंबई जनरल, न्हावा शेवा -I , न्हावा शेवा-II , मुंबई हवाई अड्डे, मुंबई एसीसी आयात, मुंबई निवारक, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता हवाई

अड्डे और एसीसी, चेन्नई-I हवाई अड्डे, चेन्नई-III, चेन्नई VII एसीसी, बंगलौर हवाई अड्डे और एसीसी, अहमदाबाद, मुंद्रा, हैदराबाद, नोएडा, विशाखापट्नम।

# सीमाशुल्क आयुक्तालय (जिसका प्रमुख आयुक्त होता है):

दिल्ली जनरल, दिल्ली हवाई अड्डा, दिल्ली एसीसी निर्यात, आईसीडी तुगलकाबाद निर्यात, आईसीडी पटपड़गंज एवं अन्य आईसीडी, मुंबई आयात ।, मुंबई-आयात ॥, मुंबई निर्यात-।, मुंबई निर्यात-।, न्हावा शेवा ॥, न्हावा शेवा-। , न्हावा शेवा-। , न्हावा शेवा-। , न्हावा शेवा जनरल, मुंबई हवाई अड्डे विशेष कार्गो, मुंबई एसीसी निर्यात, मुंबई एसीसी जनरल, पश्चिम बंगाल सीमा शुल्क (पी), चेन्नई-॥, चेन्नई-। , चेन्नई-

# (iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर जोनों में लेखा परीक्षा संरचना को मजबूत बनाना:

गैर हस्ताक्षेपकारी अप्रत्यक्ष कर के वर्तमान प्रशासन में इस विभाग की लेखा परीक्षा संरचना को मजबूत किया जाना आवश्यक था जिससे कि उन रास्तों को बंद किया जा सके जिनसे राजस्व का नुकसान होता है। तदनुसार, 45 लेखा परीक्षा आयुक्तालय बनाए गए हैं जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर लेखा परीक्षा करने और सीमाशुल्क में क्लैयरेंस प्रांत लेखा परीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

# केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर लेखापरीक्षा आयुक्तालय (जिनका प्रमुख आयुक्त होता है):

चेन्नई -।, चेन्नई -।।, दिल्ली - ।, दिल्ली - ।।, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई-।, कोलकाता - । , कोलकाता - ।।, वडोदरा -1 , वडोदरा -।।,वडोदरा III, अहमदाबाद-।,अहमदाबाद ।।, अहमदाबाद-।।।, बंगलौर, भोपाल- । , भोपाल- ।। , भुवनेश्वर , चंडीगढ़, कोचीन, कोयम्बटूर, जयपुर, मैसूर, मेरठ - ।, मेरठ ।।, मुंबई- ।।, नागपुर - । , नागपुर - ।।, पुणे- । , पुणे - ।।, पटना , गुवाहाटी, विजयवाड़ा , एलटीयू (दिल्ली), एलटीयू (मुंबई),

सर्विस टैक्स मुंबई-।, सर्विस टैक्स मुंबई-।।, सर्विस टैक्स मुंबई-।।।, सर्विस टैक्स पुणे, सर्विस टैक्स बंगलौर, सर्विस टैक्स दिल्ली -।, सेवा कर दिल्ली -।।, सर्विस टैक्स चेन्नई, सर्विस टैक्स कोलकाता।

### (iv) महानिदेशालय/ निदेशालय

इस विभाग के कामकाज के लिए निदेशालयों को मजबूत बनाना जरूरी है क्योंकि इनका पूरे भारत पर क्षेत्राधिकार होता है और नीति निर्माण में ये सीबीईसी की मदद करते हैं। सेवाकर महानिदेशालय, राजस्व आसूचना महानिदेशलय, प्रणाली एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, सतर्कता महानिदेशालय, एवं राष्ट्रीय सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं स्वापक अकादमी (नासेन) को मजबूत बनाने की क्रिया पर विशेष जोर दिया गया है।

# (v) अपील एवं कर वसूली मशीनरी

इस समय 60 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क (अपील) आयुक्त, और एक मुख्य आयुक्त और 6 आयुक्त (टी.ए आर.) हैं। अपीलीय मशीनरी जिसमें आयुक्त (अपील) होते हैं, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त से नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 तथा सेवा कर विधानों के अंतर्गत पारित आदेशों के खिलाफ अपील का कार्य देखते हैं।

### (vi) सीबीईसी के आयक्त

सीबीईसी में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के 4 प्रधान आयुक्त और 4 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क आयुक्त हैं। सीबीईसी में प्रधान आयुक्तों और आयुक्तों की सहायता के लिए 4 अतिरिक्त/ संयुक्त आयुक्त और 22 उप/सहायक आयुक्त होते हैं।

# (vii) आयुक्त (न्यायनिर्णयन)

इस समय अखिल भारतीय प्रसार और उच्च राजस्व मूल्य वाले मामलों का निर्णय करने के लिए 4 आयुक्त (न्याय-निर्णयन) (डीजीआरआई और डीजीसीईआई में दो-दो) के पद हैं। ये आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ सीमा शुल्क के मामले भी देखते हैं।

# (viii) संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय

प्रशासनिक और कार्यपालक कार्यों के निष्पादन में, पुनर्गठित ढांचे में, निम्नलिखित संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालय बोर्ड की सहायता करते हैं-

- क. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महा निदेशालय
- ख. राजस्व आसूचना महा निदेशालय
- ग. निरीक्षण महा निदेशालय
- घ. मानव संसाधन विकास महानिदेशालय
- ड.. राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वापक अकादमी
- च. सतर्कता महा निदेशालय
- छ. पद्धति तथा डाटा प्रबंधन महा निदेशालय
- ज. लेखा परीक्षा महानिदेशालय
- झ. रक्षोपाय महानिदेशालय
- ञ. निर्यात संवर्धन महानिदेशालय
- ट. सेवाकर महानिदेशालय
- ठ. मूल्यांकन महानिदेशालय
- ड. प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय
- ढ. संभार तंत्र निदेशालय
- ण. विधिक कार्य निदेशालय
- त. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि का कार्यालय, सीईएसटीएटी
- थ. केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल)

सीबीईसी के अंतर्गत आने वाले महानिदेशालयों, मुख्य विभागीय प्रतिनिधि कार्यालय एवं केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के कार्य संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

# (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय

- क. केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के अपवंचन के संबंध में आसूचना एकत्र करना, संकलित करना तथा उसका प्रसार करना,
- ख. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के लिए प्रवण वस्तुओं के मूल्य संरचना, विपणन प्रतिमानों तथा वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना,
- ग. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों में आयकर आदि जैसे विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना,
- घ. अंतर-आयुक्तालय/ विस्तार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों में जांच करना; और
- ङ. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन की तरकीबों के बारे में सलाह देना तथा बच निकलने के रास्तों को बन्द करने की दृष्टि से उचित उपचार परक उपायों, प्रक्रियाओं तथा रीतियों के संबंध में बोर्ड और आयुक्तालयों को सलाह देना ।

# ख. राजस्व आसूचना महानिदेशालय

- क. तस्करी के बारे में आस्चना का अध्ययन एवं इसका प्रसार करना
- ख. तस्करों के संगठित गिरोहों तथा तस्करी के लिए प्रवण क्षेत्रों का पता लगाना, उनके विरूद्ध आसूचना एकत्र करना तथा उनकी गतिशीलता रोकना ।
- ग. आसूचना को एकत्र करने तथा अंतःआयुक्तालयों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले महत्वपूर्ण मामलों की गहराई से जांच करने के लिए भारत तथा विदेश में आसूचना तथा प्रवर्तन कार्यों में लगी एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना,
- घ. संदिग्ध व्यक्तियों तथा निषिद्ध माल को पकड़ने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क करना, तस्करी के सामयिक तथा संभावित तरीकों का अंदाजा लगाना,
- ङ. मंत्रालय को तस्करी रोधी उपायों से संबंधित सभी मामलों में परामर्श देना तथा कमियों को दूर करने की दृष्टि से कानूनों, प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों को तैयार करना या इन्हें संशोधित करना, और
- च. ऐसे अन्य सभी मामलों के बारे में कार्यवाही करना, जो मंत्रालय अथवा बोर्ड द्वारा निदेशालय को कार्रवाई/जांच के लिए सौंपे गए हों ।

#### ग. कार्य निष्पादन प्रबंधन महा-निदेशालय

क. देश में, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागीय तंत्र के कार्यकरण का अध्ययन करना ख. इसकी कार्यकुशलता में सुधार लाने तथा निरीक्षण के माध्यम से महत्वपूर्ण कमियां दूर करने के उपाय सुझाने तथा कारगर कार्यकरण के लिए प्रक्रियाएं विहित करना।

- ग. यह निर्धारित करने के लिए निरीक्षण करना कि क्या फील्ड कार्यालयों का कार्य, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रियाओं के अनुरूप है तथा प्रक्रियात्मक कर्मियां, यदि कोई हों, के संबंध में सिफारिशें करना।
- घ. फील्ड कार्यालयों के कार्यकरण में स्धार लाने के लिए उपाय स्झाना।
- ड. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में मासिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट के संकलन के माध्यम से महत्वपूर्ण परिणाम देने वाले क्षेत्रों में फील्ड कार्यालयों के कार्य-निष्पादन की निगरानी करना च. बोर्ड की अधिसूचना अथवा संधि की शर्तों के अनुसार छूट के दावों पर कार्रवाई करना।
- छ. फील्ड कार्यालयों में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल कार्यालय के रूप में कार्य करना।
- ज. प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम को लागू करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में कार्य करना। झ. सीबीईसी द्वारा सौंपे अनुसार विभिन्न अध्ययन करवाना जैसे कि समय-समय पर विभिन्न मैनुअल अद्यतन परिणामी ढांचा दस्तावेज तैयार करना और निगरानी करना इत्यादि।
- (अ) सीमा शुल्क ब्रोकर विनियमावली, 2013 के अंतर्गत सीमा शुल्क ब्रोकरों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना।
- ट. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कानून और प्रक्रिया के अंतर्गत मैनुअल तैयार किए जाने की निगरानी करना।
- ठ. परिणामी ढांचा दस्तावेज के अंतर्गत सीबीईसी के कार्य निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली गठित करने में बोर्ड को सहयोग देना।
- ड. सरकार की शासकीय नीति के कार्यान्वयन के लिए नॉडल कार्यालय।
- ढ. करों के पिछले बकाया की वसूली से संबंधित कार्य।

#### घ. करदाता सेवाएं महानिदेशालय:

# (I) करदाता सेवाएं, पणधारी परामर्श और शिकायत निवारण :

- (क) सेवा मानक निर्धारित करना तथा इनकी कारगरता और कार्यकुशलता का, समय-समय पर मूल्यांकन और समीक्षा करना।
- (ख) नागरिक चार्टर्ड और सेवोत्तम कार्यक्रम की नियमित अंतराल पर निगरानी और समीक्षा करना तथा जहां कहीं अपेक्षित हो, सुधार सुझाना;
- (ग) ग्राहक संतुष्टि संवीक्षा, निष्पक्ष तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा और प्रभाव विश्लेषण करवाना ताकि कर-प्रशासन की गुणवत्ता और कार्यकुशलता की निगरानी की जा सके;
- (घ) ग्राहक की समझ बढ़ाने और स्वैच्छिक अनुपालना को अधिकतम करने के लिए सीबीईसी को सहयोग देना;
- (ङ) पीटीएफसी, आरएसी और ओपन हाऊस बैठकों के कार्यकरण की निगरानी करना ताकि जोनों के बीच अच्छी परिपाटियों को साझा किया जा सके;

- (च) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर जोनों द्वारा गठित ई-हेल्प लाइनों की निगरानी करना;
- (छ) ओम्बड्समैन द्वारा इस पहल को और कारगर बनाने के लिए दिए गए निदेशों और अधिनिर्णयों की निगरानी;
- (ज) आयुक्तालयों और सीमा शुल्क केन्द्रों में करदाता सेवा केन्द्रों की निगरानी तथा आयुक्तालयों और सीमा शुल्क केन्द्रों द्वारा भिजवाई गई आवधिक क्रियाकलाप रिपोर्टों के माध्यम से भिजवाए गए क्रियाकलापों का विश्लेषण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाने और वस्तुओं की समय पर सुपुर्दगी के लिए समुचित कदम उठाना; और
- (झ) डीजीएस एंड डीएम के परामर्श से समर्थित वेब आधारित सेवा पोर्टल के माध्यम से कर दाताओं और फील्ड कार्यालयों के बीच इंटरफेस के लिए "सिंगल विंडों हेल्प डेस्क" के रूप में कार्य करना।

#### (ख) प्रचार और जन सम्पर्क :-

- (क) करदाता जानकारी, करदाता शिक्षण और करदाता सहयोग प्रदान करना तथा एनएसीईएन, डीजीजीएसटी से समन्वय करते हुए पहुंच से बाहर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैचार करना और उन्हें निष्पादित करना;
- (ख) स्वामित्व, विषयवस्तु प्रबंधन तथा विषय वस्तु मालिकों के माध्यम से सीबीईसी वेबसाइट
   पर सूचना अद्यतन करना;
- (ग) एक समुचित चैनल रणनीति को अंतिम रूप देना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा सुपुर्दगी प्रभावकारी है तथा सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं;
- (घ) कर अनुपालना के संबंध में करदाताओं के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में उन्हें शिक्षित करना;
- (ङ) करदाताओं के लाभ के लिए एएआर और निपटान आयोग जैसे वैकल्पिक चैनलों, सिहत विभिन्न विषयों अर्थात बैगेज एलाउंस, रिफंड, प्रतिअदायगी, छूट, प्रोजेक्ट आयात, एसएसआई छूट, सेनवेट स्कीम, अपीलीय उपचार के संबंध में इश्तहार, मार्गदर्शी नोट्स, ब्रोशर, लघु पुस्तिकाएं, बार-बार पूछे जाने वले प्रश्न इत्यादि का संकलन करना और इन्हें जारी करना;
- (च) व्यापार और उद्योग जगत के साथ अंत: क्रिया आयोजित करना और प्राप्त फीड बैक के आधार पर सीबीईसी के कर कानूनों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन के स्झाव देना;
- (छ) कर्मचारियों के दृष्टिकोण में सुधार लाने के क्रम में उन्हें नियंत्रक से मददकर्ता और सेवाप्रदाता बनाने के लिए आंतरिक सम्प्रेषण जारी करना;
- (ज) नीति और प्रिक्रियाओं में परिवर्तनों के लिए पणधारियों की परामर्श प्रक्रिया की निगरानी और निष्पादन करना; और
- (झ) सामाजिक मीडिया सहित एक समुचित मीडिया नीति का गठन करना, स्थापित करना और निष्पादित करना।

#### (इ.) मानव संसाधन विकास महानिदेशालय

#### l. एच.आर.एम. स्कन्ध

- (क) विभाग के लक्ष्यों और अनुमान के अनुरूप सीबीईसी की मानव संसाधन योजनाओं को तैयार कर उनकी रूपरेखा बनाना;
- (ख) भर्ती नियमावली का विश्लेषण और उनका में परिवर्तनों प्रस्ताव देना ;
- (ग) विभिन्न पदों के लिए कार्यों का चार्टर तैयार करना और उनकी आवधिक समीक्षा करना;
- (घ) वार्षिक भर्ती योजना (एआरपी) तैयार करने में अथवा सीधी भर्ती में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सहायता करना;
- (इ.) भर्ती नीति तैयार करने तथा इसका कार्यान्वयन करने के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सहायता करना;
- (च) उन प्रस्तावों सिहत मानव संसाधन नीतियों, प्रक्रियाओं और पद्धितियों की रूपरेखा तैयार करना तथा जिनमें पदों को एक कार्यात्मक क्षेत्र से दूसरे कार्यात्मक क्षेत्र से अस्थाई रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है;
- (छ) प्रशिक्षण, पदस्थापना, कौशल उन्नयन तथा उत्तराधिकार आयोजना हेतु मानव संसाधन सूचना प्रणाली को तैयार रखना और इसका रख-रखाव करना;
- (ज) वार्षिक सामान्य स्थानान्तरण के हिस्से के रूप में अधिकारियों की पदस्थापना तथा स्थानांतरण के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को आंकड़ों की सहायता प्रदान करना ;
- (झ) स्थानांतरण नीति पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना तथा आगे की कार्रवाई के लिए इसे केन्द्रीय उत्पाद श्लक एवं सीमा श्लक बोर्ड को भेजना ;
- (ञ) कैडर समीक्षा और बदलते आर्थिक परिदृश्य और आवश्यकताओं के संदर्भ में विभाग के
  पुनर्गठन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को सहायता प्रदाना करना ;
- (ट) अधिकारी संघों के साथ आवधिक विचार-विमर्श में सीबीईसी को सहायता देना ;
- (ठ) मानव संसाधन प्रबन्धन/ प्रशासन संबंधी मामलों पर नियम पुस्तिका और संदर्भ साहित्य को तैयार करना; तथा
- (ड) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुकरण की जाने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एकरूपता/समरूपता लाने में बोर्ड को सहायता प्रदान करना ।

### (ख) कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रभाग:

- (क) वैयक्तिक निष्पादनों को देखने और मूल्यांकन करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निष्पादन प्रबंधन प्रणाली(पीएमएस) को विकसित करना ;
- (ख) जनशक्ति और अवसंरचना की कमी पर विचार करते हुए लक्ष्य निर्धारण के आधार पर संगठन, वर्ग और व्यक्तिगत पदों के लिए निष्पादन सूचकों का विकास ;

- (ग) वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली और निष्पादन माप स्कीम आदि की रूपरेखा तैयार करना;
- (घ) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकनों को समेकित करना;
- (इ.) प्रस्कारों को निष्पादन के साथ जोड़ना और उपयुक्त प्रस्कार नीति की रूपरेखा तैयार करना;
- (च) सहायता प्राप्त करने और व्यक्तिगत निष्पादन की मानीटरिंग करने तथा जिम्मेदारी बनाए रखने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित करने हेत् "बाहरी परामर्शदाताओं" के साथ संपर्क बनाना; तथा
- (छ) सभी संवर्गों के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन तथा समय-समय पर इसमें अर्थपूर्ण परिवर्तन सुझाना

# (ग) क्षमता निर्माण और स्ट्रेटेजिक विजन प्रभाग

- (क) सभी स्तरों पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाना तथा प्रशिक्षण आवश्यकता इन्वेन्टरी बनाना;
- (ख) अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच मानव संसाधन विकास संबंधी मुद्दों के संबंध में सूचना का प्रसार;
- (ग) डीजी,एनएसीईएन के परामर्श से सेवा अंतरालों (अर्थात 6-9 वर्षों की सेवा, 10-16,17-19 और 20-30 वर्षों की सेवा) पर देश के अंदर और बाहर स्थित संस्थाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण संस्थाओं के परामर्श से समन्वय स्थापित करना;
- (घ) प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण, प्रशिक्षण की रूपरेखाएं आदि के व्यावहारिक मॉडलों के विकास में मंत्रालय की सहायता करना तथा डीजी, एनएसीईएन के परामर्श से प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण के आधार पर प्रशिक्षण हेत् अधिकारियों को नामित करना;
- (ड.) वर्तमान समय में एनएसीईएन द्वारा संचालित किए जा रहे बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को छोड़कर विदेशी प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों की सिफारिश करना ;
- (च) उर्ध्वगामी संबंधों (अनुक्रम के अंतर्गत) और महिलाओं के हितार्थ, महिलाओं के प्रति भेदभाव और उत्पीड़न पर रोक सहित संगठनात्मक संबंधों के प्रबंधन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को सहायता प्रदान करना;
- (छ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण में परिवर्तनों को स्वयवस्थित करना;
- (ज) स्ट्रटेजिक विजन ग्रुप का गठन जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी एवं बाहरी विशेषज्ञ शामिल हों;
- (झ) भावी विकासों का अनुमान बताना और उसके प्रति कार्य करने हेतु संगठन, कार्मिक एवं प्रक्रिया में परिवर्तनों का सुझाव देना ; तथा
- (त्र) भारत सरकार की घरेलू धन जमा योजना (डीएफएस) के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करने में मंत्रालय की सहायता करना ;

### ॥ आधारभूत संरचना और कल्याण स्कन्ध

#### (घ) आधारभृत संरचना प्रभाग :

- (क) क्षेत्रीय कार्यालयों से इस प्रभाग को सीधे प्राप्त सभी आधारभूत संरचना प्रस्तावों की जांच-पड़ताल करने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशों सहित सीबीईसी/ मंत्रालय को भिजवाना;
- (ख) भूमि के खरीदने और बेचने, भवन के खरीदने और बेचने आवास किराये पर लेने और पहले से ही किराए पर लिए गए आवास को जारी रखने, कार्यालयी और आवासीय भवनों को किराए पर लेने, विभाग के भवनों, आवासीय परिसरों इत्यादि की मरम्मत/ रख रखाव/ नवीनीकरण/ संशोधन/ प्रतिस्थापन/ परिवर्तन सहित आधारभूत संरचना के प्रस्तावों के अनुमोदन और मंजूरी से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करना;
- (ग) परिसम्पत्ति रजिस्टर बनाने, उसका रख-रखाव करने और उसका नियमित अद्यतन करके सीबीईसी की परिसम्पत्तियों का लेखा-जोखा रखना और प्रलेखन करना;
- (घ) सीबीईसी के विभागीय कर्मचारियों के लिए बने बनाए कार्यालय स्थान और आवास की बजटीय अपेक्षा को समेकित करना और दर्शाना;
- (इ.) नीतिगत दिशा-निर्देशों और प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार आधारभूत संरचना प्रस्तावों की उनकी मंजूरी के संबंधमें अनुरूपता सुनिश्चित करना;
- (च) प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में मंत्रालय की टिप्पणियां/ प्रश्न/ अनुमोदन/ मंजूरी से फील्ड कार्यालयों को अवगत करवाते ह्ए सीबीईसी और फील्ड कार्यालयों में लिंक स्थापित करना।

#### (इ.) कल्याण प्रभाग :

- (क) कल्याण उपायों का पता लगाना और सीबीईसी को उनकी सिफारिश करना ;
- (ख) कल्याण कोष के शासी निकाय द्वारा निधियों की संस्वीकृति हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही करना ;
- (ग) कल्याण कोष और विशेष उपस्कर कोष के बीच निधियों के आबंटन के लिए संभार तंत्र निदेशालय तथा मुख्य सीसीए के निधि लेखा कार्यालय के बीच समन्वय स्थापित करना ;
- (घ) कर्मचारियों की अधिवर्षिता का प्रबंधन करना विशेष तौर पर मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक एवं वित्तीय पहलुओं के संबंध में सेवा निवृत्ति के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना (सेवानिवृत्ति के पश्चात जीवनका प्रबंधन और लाभों का उचित प्रबंध करने के लिए एनएसीईएन और/अथवा बाहरी विशेषज्ञों के जरिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए);

- (इ.) सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के कार्य अनुभव की विशिष्टता का ब्यौरा तैयार करना और उन्हें अनुरक्षित करना तथा उन्हें अन्य मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए उनकी आवश्यकताओं के बाबत परामर्श देना ; और
- (च) सीबीईसी द्वारा बढ़ावा दी जाने वाली/ लागू की जाने वाली कल्याण स्कीमों/उपायों के संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों में सूचना का प्रसार करना ।

#### III. <u>व्यय प्रबंधन प्रकोष्ठ</u>

- (क) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग दवारा निर्धारित बजट परिपत्र को जारी करना;
- (ख) अन्दान राशि के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों/ एककों से प्राप्त बजट प्रस्तावों की जांच-पड़ताल;
- (ग) बजट कवायद के प्रत्येक स्तर पर स्थिति का समेकन करना अर्थात बजट आकलन, संशोधित आकलन और अंतिम अपेक्षा और इसे आगे की कार्रवाई के लिए एफ.ए. (वित्त) को प्रस्तुत करना;
- (घ) मद शीर्षवार अनुमोदित प्रावधानों को संबंधित बजट नियंत्रक प्राधिकारियों को आवंटित करना;
- (इ.) संगत बजट दस्तावेजों में शामिल किए जाने के लिए बजट आकलन का विवरण तैयार करना;
- (च) व्यय की मंजूर अनुदान राशि की तुलना में हुई प्रगति की निगरानी करना तथा आगे की कार्रवाई के लिए एफ.ए. (वित्त) को मासिक और तिमाही व्यय समीक्षा प्रस्तुत करना;
- (छ) सक्षम अधिकारी की सहमति/ अनुमोदन के लिए पुन: विनियोजन आदेश, बचत के सरन्डर इत्यादि का प्रस्ताव करना;
- (ज) प्रधान सीसीए, सीबीईसी के परामर्श से विनियोजन लेखा को अंतिम रूप देना तथा इसे सहमति के लिए एफ.ए.(वित्त) को प्रस्तुत करना
- (झ) अनुदानों मांगों की विवरणी स्थायी वित्त समिति की जांच-पड़ताल के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना;
- (ञ) व्यय मामलों में लेखा परीक्षा संदर्भों के संबंध में कार्रवाई करना, उदाहरण के तौर पर लेखा-परीक्षा पैरा पीएसी पैरा इत्यादि के संबंध में की गई कार्रवाई/ टिप्पणियां
- (ट) उपर्युक्त से संबंधित कोई अन्य मामला।

# च. राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा नार्कोटिक्स अकादमी

- (क) सीधी भर्ती वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण देना तथा विभागीय अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना ;
- (ख) सीधी भर्ती वाले तथा विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण नीतियां तैयार करने में सहायता करना तथा अध्ययन संबंधी योजनाएं और पाठ्यक्रम तैयार करके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को कार्यान्वित करना;
- (ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पड़ोसी देशों से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों के अध्ययन दौरों की व्यवस्था करना ।

### छ. सतर्कता महानिदेशालय

- (क) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता मामलों की मानीटरिंग करना;
- (ख) संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की उचित निगरानी रखना; और
- (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राजस्व आसूचना एवं सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी महानिदेशालय के साथ घनिष्ट तालमेल रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सतर्कता और भष्ट्राचार रोधी कार्यक्रम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नार्कोटिक्स कार्यालयों के सभी आयुक्तालयों में क्रियान्वित किए जाएं।

#### ज. प्रणाली निदेशालय तथा डाटा प्रबंध निदेशालय

### (क) प्रणाली निदेशालय

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर हार्डवेयर की खरीद करने, साफ्टवेयर का विकास और रखरखाव, कार्मिकों का प्रशिक्षण और कंप्यूटरीकरण संबंधी बजट व्यय मानीटर करने सहित सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर कंप्यूटरीकरण परियोजनाओं के सभी पहलुओं पर ध्यान रखनने के लिए।

### (ख) डाटा प्रबंधन निदेशालय

- (i) अप्रत्यक्ष करों से राजस्व वसूली संबंधी डाटा और सांख्यिकी एकत्र करना और समेकित करना और मंत्रालय और बोर्ड को बजट अनुमानों के पूर्वानुमान में सलाह देना; और
- (ii) अप्रत्यक्ष करों से संबंधित राजस्व, बकायों, अधिग्रहणों, अदालती मामलों, आदि के संबंध में सांख्यिकीय ब्लेटिनों, और सांख्यिकीय वार्षिकी के संकलन हेत् आंकड़े एकत्र करना ।

#### झ. लेखा-परीक्षा निदेशालय

- (क) लेखा परीक्षा तकनीकों और प्रक्रियाओं के विकास और उनमें स्धार करने के बारे में निदेश देना;
- (ख) आवधिक समीक्षाओं द्वारा नई लेखा परीक्षा प्रणाली का प्रभावी और सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
- (ग) बाह्य एजेंसियों और इस विभाग के अन्य कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना;
- (घ) कर अन्पालन में स्धार के लिए उपाय स्झाना;
- (इ.) लेखा-परीक्षा के मानकों और निर्धारिती की संत्ष्टि के स्तर का पता लगाना;
- (च) सही डाटा बेस विकसित करने के लिए नीति बनाना और साथ ही लेखा परीक्षा को प्रभावीऔर अर्थपूर्ण बनाने के लिए लेखा परीक्षकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना;
- (छ) नीति निर्माण में बोर्ड को सहायता करना और सलाह देना और स्थानीय स्तर पर लेखा परीक्षा की योजना, समन्वय और निरीक्षण में मार्गदर्शन करना तथा कार्यकारी निदेश देना;
- (ज) संगत सूचना को एकत्र करना और उसका प्रसार करना ; और
- (झ) ई.ए.2000 लेखा परीक्षा एवं संबंधित परियोजनाएं जैसे कि जोखिम प्रबंधन, सी.ए.ए.पी लेखा परीक्षा आदि को लागू करना ।

#### ञ. रक्षोपाय महानिदेशालय

- (क) भारत में किसी वस्तु के बढ़ते हुए आयातों के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षिति अथवा गंभीर क्षित के खतरे की मौजदूगी की जांच करना;
- (ख) रक्षोपाय श्ल्क लगाने के लिए वस्त् की पहचान करना ;
- (ग) विनिर्दिष्ट देश से किसी वस्तु के बढ़े हुए आयातों के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षिति अथवा गंभीर क्षिति का खतरा के संबंध में निष्कर्षों, वैकल्पिक अथवा अन्यथा, को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना;
- (घ) निम्नलिखित की सिफारिश करना;
  - (i)शुल्क की उस राशि के संबंध में, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति के खतरे को हटाने के लिए पर्याप्त हो ।
  - (ii) रक्षोपाय शुल्क लगाने की अवधि और जहां सिफारिश की गई अवधि एक वर्ष से अधिक हो वहां सकारात्मक सामयोजना को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त उत्तरोत्तर उदारीकरण की सिफारिश करना; और
- (iii) रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करना ।

# ट. निर्यात संवर्द्धन महानिदेशालय

- (क) वास्तविक निर्यातकों को पेश आ रही कठिनाईयों से निपटने के लिए निर्यात की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्यात संवर्द्वन कांउसिलों के साथ बातचीत करना;
- (ख) निर्यात से संबंधित संबंद्व एजेंसियों के साथ गहरे संबंध स्थापित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक निर्यातक बिना किसी कठिनाई के निर्यात योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें:
- (ग) मासिक और त्रैमासिक विवरणियों जैसे कि परित्यक्त शुल्क विवरण, प्रतिअदायगी की अदायगी संबंधी विवरण और त्रैमासक प्रति-अदायगी भुगतान विवरण के जरिए क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य- निष्पादन को मॉनीटर करना तथा इन सब की तुलना करना और उन्हें संकलित करना ताकि मंत्रालय नीति की समीक्षा कर सके ;
- (घ) मौजूदा विधिक प्रावधानों/नियमों तथा प्रक्रियाओं की दक्षता की जांच संबंधी अध्ययन करना और किए जाने वाले परिवर्तनों के विषय में मंत्रालय को स्झाव, यदि कोई हो, देना;
- (ङ) संबंधित आयुक्तों द्वारा निर्धारित ब्रांड दरों की उत्तर लेखा परीक्षा करना और चयनित मामलों का स्वतंत्र रुप से अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों की सहायता से भौतिक सत्यापन करना ।
- (च) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अंतर्गत अनुमत्य शुल्क मुक्त आयातों के चयनित मामलों की उत्तर लेखा परीक्षा करना, और
- (छ) बोर्ड और बोर्ड के सीमा शुल्क-IV और एफ टी टी अनुभागों, जो कि 100 प्रतिशत ई.ओ.यू./ई.पी.जेड. इकाइयों/एस.ई.जेड इकाइयों तथा विभिन्न प्रौद्योगिकी पार्कों और रत्नों और आभूषणों के निर्यात से संबंधित योजनाओं का कार्य देखते हैं, के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना ।

# ठ. वस्तु और सेवा कर महा निदेशालय

- (क) सम्बद्ध विधान सहित जीएसटी से संबंधित सभी नीतिगत मामले।
- (ख) जीएसटी के संबंध में सीबीईसी के मत तैयार करना जीएसटी में विभिन्न केन्द्रीय करों के सिम्मिलित किए जाने से संबंधित मामलों पर मत तैयार करना:
- (ग) जीएसटी से जुड़े संसदीय प्रश्नों सिहत संसद में उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई की जाएगी। यह सर्वशक्तिमान सिमिति और राजय सरकारों से अंत:क्रिया करेगा तथा जीएसटी के विभिन्न तथ्यों के संबंध में सीबीईसी के मतों को अंतिम रूप देने में इसकी सहायता करेगा;
- (घ) यह जीएसटी से संबंधित मामलों में व्यापार और उद्योग जगत के साथ सीबीईसी के इन्टरफेस के रूप में कार्य करेगा तथा जीएसटी से संबंधित किसी अन्य मामले को भी देखेगा;
- (ङ) यह अन्य बातों के साथ-साथ अनुसंधान और विश्लेषण, अधिकारियों की क्षमता निर्माण, जीएसटी से जुड़े सीबीईसी के विभिन्न निदेशालयों और राज्यों की संस्थाओं से समन्वय करने का कार्य करेगा तथा जीएसटी से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड में जीएसटी को सहयोग देगा।

(च) यह सेवा कर निदेशालय के जीएसटी निदेशालय में रूपान्तरण से उत्पन्न होने वाले संक्रमणकालीन मुद्दों को भी देखेगा।

### (ड) प्रचार और जन सम्पर्क निदेशालय:-

- (क) सांविधिक और विभागीय मेन्य्ल तैयार करना समीक्षा तथा प्रकाशित करना;
- (ख) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तकनीकी और प्रशासनिक मामलों में बोर्ड के द्वारा जारी निर्देशों को समेकित करना;
- (ग) अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन करना,
- (घ) सुधार सूची आदि के माध्यम से सभी विभागीय मेन्युअल को अद्यतन करना
- (ङ) ब्रोशर, पोस्टर, होर्डिंग, रेडियो, टीवी तथा प्रेस मीडिया के जरिए अप्रत्यक्ष करों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए पब्लिसिटी करना।

### (ढ) संभार तंत्र निदेशालय

- (क) आयुक्तालयों और कमजोर क्षेत्रों में तस्करी रोधी कार्य के लिए तैनात किए गए कर्मचारियों की कार्यक्षमता की जांच करना, निर्धारण करना और मूल्यांकन करना;
- (ख) विभिन्न आयुक्तालयों में न्यायनिर्णयन, अभियोजन तथा मुखबिरों तथा अधिकारियों को इनाम देने संबंधी मामलों में प्रगति पर नजर रखना, समन्वय करना और मूल्यांकन करना तथा अभियोजन संबंधी मामलों में जब्तशुदा माल के निपटान की प्रगति पर नजर रखना;
- (ग) विभिन्न आयुक्तालयों में तस्करी रोधी कार्य के लिए अपेक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, उपस्करों, वाहनों, जलयानों, संचार तथा अन्य स्रोतों की आवश्यकता की आयोजन करना तथा उसका मूल्यांकन करना, उनकी प्रचालनात्मक कार्यकुशलता का अंदाजा लगाना; और
- (घ) अधिग्रहण, एकत्रण, खरीदे, मरम्मत और ऐसे संयंत्रों को पुनः लगाने संबंधी मामलों को निपटाना।

### (ण) विधिक कार्य निदेशालय

- (क) बोर्ड के विधिक और न्यायिक कार्य को मॉनीटर करने के लिए नोडल एजेंसी के रुप में कार्य करना,
- (ख) ट्रिब्यूनल की विभिन्न पीठों द्वारा निर्णित सभी मामलों का डाटा बेस तैयार करना और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से मामलों को मॉनीटर करना कि क्षेत्रीय कार्यालय केवल पात्र मामलों में ही अपील दायर करने की सिफारिश करें ना कि उन मामलों में जिनमें पहले ही

- उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय दिया जा चुका है और इसे विभाग द्वारा स्वीकार किया जा च्का है;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ट्रिब्यूनल के सभी आदेशों की जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो वहां अपील दायर करने के लिए समयबद्ध प्रस्ताव बोर्ड को भेजा जाता है और आदेश की स्वीकृति से संबंधित रिपोर्ट मुख्य आयुक्त को भेजी जाती है;
- (घ) विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों, जिन्हें विभाग द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया है, और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के विषय में क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करना ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पहले से ही निपटाए गए मामलों पर अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके;
- (ङ) विभिन्न उच्च न्यायालयों में पड़े अनिर्णित मामलों से संबंधित डाटा बेस तैयार करना। अपीलीय/प्रतिवादी आयुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय मामलों से संबंधित डाटा बेस तैयार करने और उसे अद्यतन करने में निदेशालय को सहयोग करना अपेक्षित है;
- (च) क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त फीड बैंक के आधार पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए स्थायी काउंसिलों/पैनल काउंसिलों के पैनल तैयार करना । तथापि, निदेशालय की भूमिका सिफारिश करने तक ही सीमित होगी तथा पैनल के अनुमोदन/स्थायी काउंसिलों की नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रालय का ही होगा; और
- (छ) प्रतिष्ठित वकीलों का अनुमोदित पैनल बनाना जो कि अप्रत्यक्ष कर कानूनों तथा प्रशासन संबंध मामलों की पूरी जानकारी रखते हों, जो सरकार के नियमित पैनल में न भी हों परन्तु उन्हें महत्वपूर्ण मामलों के निपटान के लिए विभाग द्वारा रखा जा सकता है।

# त. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि का कार्यालय (सीडीआर), सीईएसटीएटी

- (क) ट्रिब्यूनल रजिस्ट्री से मामलों की कारण सूची प्राप्त करना और विभागीय प्रतिनिधियों के बीच केस फाइल वितिरत करना;
- (ख) सीस्टेट को पीठों के समक्ष सभी सूचीबद्ध मामलों में विभागीय प्रतिनिधियों के प्रभावी प्रतिनिधित्व को मॉनीटर करना;
- (ग) संबंधित आयुक्तालयों से समन्वय करना और प्रति आपित, स्पष्टीकरण और पुष्टिकरण की मांग करना ;
- (घ) अध्यक्ष, सीस्टेट के साथ समन्वय स्थापित करना; और
- (ङ) विभागीय प्रतिनिधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना और सी.डी.आर कार्यालय, जिसमें उसके मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलोर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं, से संबंधित प्रशासनिक मामलों को देखना ।

#### थ. केन्द्रीय राजस्व रसायन प्रयोगशाला

वस्तुओं के नमूनों को विश्लेषित करना तथा विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति, गुण एवं मिश्रण के संबंध में बोर्ड एवं इसके क्षेत्रीय संगठनों को तकनीकी सलाह देना ।

### द. डीजी (जीएसटी)

बोर्ड तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुसंधान तथा विश्लेषण, अधिकारियों के क्षमता निर्माण, सीबीईसी के विभिन्न निदेशालयों से समन्वय तथा जीएसटी से संबंधित राज्य संस्थानों के कार्यों के निर्वहन करते समय मध्यवर्ती के रूप में विशेषज्ञ के तौर पर कार्य करना तथा जीएसटी से संबंधित सभी मामलों पर बोर्ड के जीएसटी नीति विंग को सहायता प्रदान करना है।

### -उन विषयों की सूची जिनके दस्तावेज केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड के सीपीआईओ के अधिकार में आते हैं।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का		तथा ईमेल
नाम		
	श्री संतोष कुमार मिश्रा,	श्री उन्मेश शरद वाघ,
सीएक्स	अवर सचिव एवं सीपीआईओ (सीएक्स 1)	ओएसडी (सीएक्स 1)
1	दूरभाष सं. 2309 5535	दूरभाष सं. 011 2309 2812
अनुभाग	Sk.mishra81 <u>@nic.in</u>	unmesh.wagh@nic.in
	कमरा सं. 254, सीबीईसी, राजस्व विभाग, नार्थ	कमरा सं. 255, सीबीईसी, राजस्व विभाग,
	ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001	नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

- -उन विषयों की सूची जिनके दस्तावेज इस अनुभाग के सीपीआईओ के अधिकार में आते हैं
- (i) केंद्रीय उत्पाद श्ल्क टैरिफ अधिनियम के निम्नलिखित अध्यायों की मदों का टैरिफ वर्गीकरण।
- (क) अध्याय 2 से 5
- (ख) अध्याय 7 से 9
- ग) अध्याय 11,13,14, 16 से 23
- घ) अध्याय 47 से 96

विधायी सप्ताह (वित्त विधेयक और आयुक्तों को सौंपे गए कार्य (कानूनी और न्यायिक) के अलावा (iii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की व्याख्या,

- (iv) केंद्रीय उत्पाद श्ल्क अधिनियम की धारा 4/4 क के तहत मूल्यांकन,
- (v) डिप्लोमेट्स द्वारा भारत में खरीदे गए वाहनों की बिक्री के लिए अन्मित देने से संबंधित कार्य,

- (vi) 11ग अधिसूचनाओं, धारा 5 क(2) के तहत तदर्थ छूट प्रदान करने और उपर्युक्त 1 में उल्लिखित कमोडिटीज के संबंध में 5 ख के तहत छूट प्रदान करने से संबंधित कार्य,
- (viii) उपरोक्त मद से संबंधित सभी शिकायतें, अभ्यावेदन और संसद प्रश्न।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री शंकर प्रसाद शर्मा,	श्री एल बी यादव
सचिव	अवर सचिव एवं सीपीआईओ (सीएक्स 3)	निदेशक (सीएक्स 3 एवं 8)
(सीएक्स	दूरभाष सं. 2309 5537	दूरभाष सं. 011 2309 5519
3)	फैक्स सं. 2309 2351	फैक्स सं. 2309 5519
	Shankar.sharma@nic.in	lal.yadav@nic.in
	कमरा सं. 244सी, सीबीईसी, राजस्व विभाग, नार्थ	कमरा सं. 244ए, सीबीईसी, राजस्व विभाग,
	ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001	नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

- -उन विषयों की सूची जिनके दस्तावेज इस अनुभाग के सीपीआईओ के अधिकार में आते हैं
- (i)सीईटीए के अध्याय 15,24 से 46 के सामान के संबंध में टैरिफ वर्गीकरण।
- (ii) डिप्लोमेट को पेट्रोल पर श्ल्क की वापसी
- (iii) नार्थ ज़ोन टैरिफ सम्मेलन के आयोजन और समन्वय से संबंधित कार्य।
- (iv) टैरिफ सम्मेलन आयोजित करने से संबंधित सामान्य प्रक्रिया
- (v) उपरोक्त मद (1) में उल्लिखित सामानों के संबंध में सीई और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11ग और सी ई अधिनियम 1944 के नियम 5 क (2) से संबंधित कार्य।
- (vi) औषधीय और प्रसाधन पदार्थ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 से संबंधित कार्य।
- (viii) उपरोक्त से संबंधित सभी शिकायतें, अभ्यावेदन और संसद प्रश्न।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री रोहन,	श्री उमेश शरद वाघ
सचिव	अवर सचिव एवं सीपीआईओ (सीएक्स 6)	ओएसडी (सीएक्स 6)
(सीएक्स	दूरभाष सं. 2309 5537	दूरभाष सं. 011 2309 2812
6)	rohan.chaudhary@nic.in	umesh.wagh@nic.in
	कमरा सं. 244सी, सीबीईसी, राजस्व विभाग, नार्थ	कमरा सं. 255, सीबीईसी, राजस्व विभाग,
	ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001	नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

- 1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों और इसकी व्याख्या में संशोधन (मॉडेवैट, सेनवैट, प्रोफ्रार्मा क्रेडिट एंड नमूनाकरण से संबंधित मामलों को छोड़कर)
- 2. कर निर्धारण, आंतरिक लेखा परीक्षा, निवारक नियंत्रण, निर्यात, लाइसेंस और बांड, शक्तियों का प्रत्यायोजन, ओवरटाइम फीस और बजट तथा प्री-बजट डेली क्लीयरेंस, अभियोजन, फैसले से संबंधित प्रक्रियाएं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत पुरस्कार और अन्य सभी मामले, जो सीएक्स- 8 अनुभाग के अंतर्गत नहीं आते।
- 3. मूल एक्साइज मैनुअल, ऑडिट मैनुअल, निवारक मैनुअल और एस.आर.पी. हैंडबुक में संशोधन।

- 4. कर अपवंचन, अभियोजन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय की कार्य योजना के अनुमोदन, आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और निवारक कार्य इत्यादि के संबंध में रिटर्न से संबंधित नीति।
- 5. उपरोक्त कार्य की मदों से संबंधित सभी शिकायतें, अभ्यावेदन और संसद प्रश्न।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री नीलंक कुमार,	श्रीमती सुरक्षा कटियार,
सचिव	अवर सचिव एवं सीपीआईओ (सीएक्स 7)	निदेशक (सीएक्स 7)
(सीएक्स	दूरभाष सं. 011 2616 1229	दूरभाष सं. 011 2616 1229
7)	फैक्स सं. 2616 1229	cbec-paccx7@nic.in
	cbec-paccx7@nic.in	छठी मंजिल, सी विंग, सीबीईसी, हुडको
	छठी मंजिल, सी विंग, सीबीईसी, ह्डको विशाला	विशाला बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, आर
	बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई	के पुरम, नई दिल्ली
	दिल्ली	_

- (i) केंद्रीय उत्पाद श्ल्क और सेवा कर संबंधी मसौदा लेखापरीक्षा पैरा/ऑडिट पैरा।
- (ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर पर सी एंड एजी रिपोर्ट।
- (iii) केंद्रीय उत्पाद श्ल्क और सेवा कर पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट और पर्यटन
- (iv) केन्द्रीय उत्पाद श्ल्क और सेवा कर पैरा के लिए निगरानी कक्ष के साथ समन्वय
- (v) केंद्रीय उत्पाद शुल्क पैरा से संबंधित पीएसी के टूर पर व्यय की वितीय स्वीकृति।
- (vi) सीएंडएजी/सीईआरए को उपलब्ध कराए जाने वाली फाइल या रिकॉर्ड से संबंधित नीति।

	•	
अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री शंकर प्रसाद शर्मा,	श्री एल बी यादव
सचिव	अवर सचिव एवं सीपीआईओ (सीएक्स 8)	निदेशक (सीएक्स 8)
(सीएक्स	दूरभाष सं. 2309 5537	दूरभाष सं. 011 2309 5519
8)	फैक्स सं. 2309 2351	फैक्स सं. 2309 5519
	Shankar.sharma@nic.in	lal.yadav@nic.in
	कमरा सं. 244सी, सीबीईसी, राजस्व विभाग,	कमरा सं. 244ए, सीबीईसी, राजस्व विभाग,
	नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001	नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

- (i) मॉडवैट, सेनवैट,सेट ऑफ और सैंपलिंग से संबंधित मामलों के बारे में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों और उसकी व्याख्याओं को संशोधित करना।
- (ii) उपकरों के संग्रहण से संबंधित प्रक्रिया (हथकरघा उपकर को छोड़कर)
- (iii) मॉडवैट, सेनवैट, सेट ऑफ, वेरहाउसिंग और सैंपलिंग से संबंधित प्रक्रिया।
- (iv) विभागीय लेखा परीक्षा प्रणाली से संबंधित मामले।
- (v) काम के प्रमुख परिणाम क्षेत्रों (न्यायनिर्णय, राजस्व के बकाया की वसूली, कॉल बुक का निपटान और अनंतिम मूल्यांकन के मामले) में आयुक्तालयों के कार्य निष्पादन की निगरानी।
- (vi) केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रिफंड और छूट से संबंधित सभी मामले।

(vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के महानिदेशक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त से प्राप्त सिफारिशों की जांच करना और प्रतिबंधों का प्रकार वापस ले जाने के प्रकार या निर्दिष्ट प्रकार के नियमों को निर्दिष्ट करने के आदेश जारी करना, जिसमें कहा गया कि सुविधाएं नहीं होंगी उपलब्ध या अविध जिसके लिए प्रतिबंधों का संचालन होगा। (निवारक कार्रवाई)

(viii) उपरोक्त से संबंधित सभी शिकायतें, अभ्यावेदन और संसद प्रश्न।

अनुभाग	सीपीआईओं के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री वाई एस कारू,	श्री एल बी यादव
सचिव	अवर सचिव (कानूनी)	निदेशक (सीएक्स 8)
(सीएक्स	दूरभाष सं. 2619 5406	दूरभाष सं. 011 2309 5519
8ए) एवं	karoo.yadav@nic.in	फैक्स सं. 2309 5519
अवर	पंचम मंजिल, हुडको विशाला बिल्डिंग, भीकाजी	rajendrakumar67@nic.in
सचिव	कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली	पंचम मंजिल, सी विंग, ह्डको विशाला
(कानूनी)		बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम,
		नई दिल्ली

- (i) उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष रिक्ति याचिकाओं को फाइल करने के लिए सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच तथा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय के आदेशों से होने वाले मामलों में काउंटर एफ़िडेटिव आदि फाइल करना।
- (ii) सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत निपटान आयोग तथा अग्रिम विनिर्णय नियमावली से संबंधित विधायी कार्य।
- (iii) आयुक्तों (अपील) द्वारा अपीलों के निपटान की निगरानी
- (iv) ऊपर उल्लिखित कार्य की मदों से संबंधित सांसदों/वीआईपी तथा मंत्रियों से प्राप्त पत्र ।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री सुरेंद्र सिंह,	श्री मनीष मोहन गोविल,
सचिव	अवर सचिव एवं सीपीआईओ (सीएक्स 9)	ओएसडी (सीएक्स 9)
(सीएक्स	दूरभाष सं. 011 2309 2413	दूरभाष सं. 011 2309 5513
9)	rawat.surendra@nic.in	manish.govil@nic.in
	कमरा सं. 267डी, सीबीईसी, राजस्व विभाग, नार्थ	कमरा सं. 251बी, सीबीईसी, राजस्व विभाग,
	ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001	नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

- (i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर और अन्यों में कार्य का समन्वय।
- (ii) राष्ट्रपति के संभाषण, मंत्रालय, वित्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, आर्थिक संपादक सम्मेलन के लिए सामग्री का संकलन, वित्त मंत्री के भाषण/वार्तालाप बिन्दु के लिए सामग्री।
- (iii) विभिन्न संसदीय समितियों अर्थात् वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति, अनुमान समिति, लोक सभा, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति तथा अधीनस्थ कानून पर संबंधी समिति, वित्त मंत्रालय से जुड़ी सलाहकार समिति, जब भी समन्वय की आवश्यकता होती है, से संबंधित सभी मामले।
- (iv) आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों की प्राप्ति तथा उसे बोर्ड में विभिन्न सीपीआईओ और

क्षेत्रीय कार्यालयों (इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सीएक्स -9 अनुभाग से संबंधित आवेदन पत्र शामिल हैं और वे भी जो सीबीईसी में एक से अधिक अनुभाग से संबंधित हैं)

- (v) सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों इससे जुड़े मामलों का निपटान।
- (vi) मुख्य आयुक्तों के सम्मेलन और अन्य विभागीय सम्मेलन।
- (vii) भूटान की शाही सरकार को उत्पाद शुल्क की वापसी सहित भूटान में उत्पाद शुल्क योग्य सामानों के निर्यात से संबंधित विशेष प्रक्रियाएं।
- (viii) (क) राजस्व का बकाया और बटटे खाते में डालना और छूट (ख) सिक औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ राजस्व के बकाये का स्थगन (ग) उत्पाद शुल्क राहत योजना (घ) सिक औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ राजस्व के बकाये का स्थगन
- (ix) सीबीईसी के परिणाम ढांचे के दस्तावेज और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आरएफडी तैयार करने में हुई प्रगति की निगरानी।
- (x) समय-समय पर नागरिक चार्टर का संशोधन।
- (xi) कैबिनेट/कैबिनेट समिति के निर्णयों के कार्यान्वयन की मासिक रिपोर्ट
- (xii) सचिवों की समिति के निर्णय के कार्यान्वयन की मासिक रिपोर्ट
- (xiii) राजस्व म्ख्यालय के लिए महत्वपूर्ण इवेंट रिपोर्ट ।
- (xiv) टीसी अन्भाग, राजस्व विभाग को बकाया और जब्ती की रिपोर्ट।
- (xv) क्षेत्रीय सलाहकार समितियां
- (xvi) डीजीपीएम और मुख्य आयुक्तों के कार्यालय से रिपोर्ट और रिटर्न।
- (xvii) प्रशासनिक स्धार आयोग से संबंधित मामले।
- (xviii) विविध प्रकृति का कोई भी अन्य काम जो विशेष रूप से किसी अन्य अनुभाग को आवंटित नहीं किया गया है।
- (xix) कार्य की उपर्युक्ट मदों से संबंधित सभी शिकायतें, अभ्यावेदन और संसद प्रश्न।
- (xx) मीडिया सेल से संबंधित कार्य।
- (xxi) बड़े करों से संबंधित सभी समन्वय कार्य।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री ए सी मॉलिक,	श्री एम जी थमीज वालाव <sub>ान,</sub>
सचिव	अवर सचिव (एस-।।)	निदेशक (एस-।।)
(एएस-	दूरभाष सं. 011 2617 7328	दूरभाष सं. 011 2617 7519
11)	फैक्स: 011 2617 7572	फैक्स सं. 011 2617 7543
	acmallick@nic.in	mgt.valavan@nic.in
	कमरा सं. 5सी3, बी विंग, पंचम मंजिल,	कमरा सं. 501, सीबीईसी, ह्डको विशाला
	सीबीईसी, ह्डको विशाला बिल्डिंग, भीकाजी कामा	बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम,
	प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली	नई दिल्ली

- (i) सीमा शुल्क अधिनियम के तहत खोजों, बरामदगी, गिरफ्तारी आदि से संबंधित शिकायतों के बारे में एम.पी./मंत्रियों/जनता से प्राप्त शिकायतें।
- (ii) अधिसूचित और विनिर्दिष्ट माल आदि के संबंध में अध्याय IV-A और IV- बी के प्रावधानों के अन्पूरक

स्विधाओं के संबंध में ट्रेड एसोसिएशन/चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से प्राप्त अभ्यावेदन।

- (iii) तस्करी प्रवृत्तियों और तस्करी रोधी उपायों के संबंध में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्तों और राजस्व आसूचना निदेशालय से प्राप्त मासिक रिपोर्टों का विश्लेषण और मूल्यांकन।
- (iv) तस्करी गतिविधियों के बारे में हमारे विदेशी स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण और मूल्यांकन।
- (v) तस्करी रोधी मामलों के संबंध में संसदीय प्रश्नों को हैंडल करना।
- (vi) अनुमान समिति, परामर्शदात्री समिति और लोक लेखा समिति आदि के संबंध में तस्करी रोधी मामलों पर सामग्री तैयार करना।
- (vii) विभिन्न सम्मेलनों की बैठकों, गैर-योजनागत व्यय संबंधी समिति और तस्करी रोधी मामलों पर आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति के लिए नोट हेत् सार तैयार करना।
- (viii) जब्त माल के निपटान पर नीति और विश्लेषण।
- (ix) सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्तों से प्राप्त मासिक रिपोर्टी (मास्टर रिपोर्ट) का विश्लेषण।
- (x) परीक्षण और आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालतों के निर्माण, पुलिस अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिकारों का प्रत्यायोजन जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों के लिए टिप्पणियां देने की जांच।
- (xi) आसूचना और निवारक व्यवस्था के संदर्भ में तस्करी रोधी उपायों का विश्लेषण और मूल्यांकन।
- (xii) अन्य अनुभाग/विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त तस्करी रोधी मामलों के संबंध में प्राप्त पत्रों का निपटान करना। (xiii) सीमा शुल्क के पास जब्त किए गए स्टॉक से वर्तमान सांसदों और अन्य वीआईपी को गैर-निषिद्ध बोर हथियार और कारतूस का आवंटन।
- (xiv) सभी सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए तस्करी रोधी गतिविधियों के लिए वाहनों, उपकरणों, नावों और लांच की खरीद।
- (xv) तमाम सामानों को जब्त कराने के लिए सभी म्खबिरों को प्रस्कार प्रदान करना।

अनुभाग का नाम	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
_	ईमेल	तथा ईमेल
अवर सचिव	श्री मशूद यू रहमान फरूकी,	श्री राजेंद्र कुमार, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(जेसी)ज्यूडिसियल	सीपीआईओ (ज्यूडिसियल सेल)	(जेसी)
सेल	दूरभाष सं. 011 2616 2156	दूरभाष सं. 011 2616 2152
	फैक्स: 011 2616 2156	फैक्स सं. 011 2617 7515
	sojc-cbec@nic.in	rajendrakumar67@nic.in
	कमरा सं. 403, चतुर्थ मंजिल, सीबीईसी, हुडको	पंचम मंजिल, सी विंग, सीबीईसी, हुडको
	विशाला बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, आर के	विशाला बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, आर
	पुरम, नई दिल्ली	के पुरम, नई दिल्ली

- (क) काउंसिल/ विशेष सरकारी अभियोजक को रखना/नियुक्ति; उनकी फीस/शर्तों और संबंधित कार्यों, उपर्युक्त उल्लिखित मामलों से संबंधित सांसदों/वीआईपी और मंत्रियों से प्राप्त पत्रों का निपटान।
- (ख) सीबीईसी के तहत अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति।
- (ग) आयुक्तों (अपील) द्वारा अपील के निपटान की निगरानी।
- (घ) सर्वोच्च न्यायालय में सभी अदालत के मामले (सीईएसटीएटी के आदेशों से उत्पन्न होने वाले मामलों के अलावा)।
- (ङ) केंद्रीय आबकारी अदालत के मामलों और राजस्व भागीदारी से संबंधित रिपोर्ट और रिटर्न।

- (च) कार विवाद समाधन योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों की जांच।
- (छ) उपरोक्त से संबंधित संसद प्रश्न तथा अन्य विविध मामले ।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष
का नाम	ईमेल	सं. तथा ईमेल
अवर	श्री पवन कुमार खेतान,	श्री जुबेर रियाज कामिलि,
सचिव	सीपीआईओ पीएसी-सीमाशुल्क 3 एवं 6	निदेशक (सीमाशुल्क)
(सीमाशुल्क	दूरभाष सं. 011 2309 5557	दूरभाष सं. 011 2309 3908
111)	pawankhetan79@gmail.com	फैक्स: 011 2309 2173
	कमरा सं. 229ए, सीबीईसी, राजस्व विभाग,	dircus@nic.in
	नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001	कमरा सं. 227बी, सीबीईसी, राजस्व
		विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

- (i) सभी नियतकालीन रिपोर्टों और कार्य योजना के माध्यम से बकाया सीमा शुल्क डयूटी तथा लावारिस वस्तुओं के निपटान सहित सभी प्रकार के कार्यों में सीमा शुल्क कार्यालयों के कार्य निष्पादन की निगरानी।
- (ii) सीआरसीएल के कार्य और सीआरसीएल की बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों की आवश्यकताओं की निगरानी।
- (iii) कस्टम विंग में सभी कामों का समन्वय।
- (iv) ट्रेड से प्राप्त सभी परिवाद/शिकायतें।
- (v) लंबित वीआईपी पत्रों, संसदीय आश्वासन, वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन, अन्य नियतकालीन रिटर्न, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट, व्यापार संबंधी आंकड़ों का संचयन।
- (vi) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक कार्य योजना, समय-समय पर रिपोर्ट और रिटर्न, और विविध मामलों का संशोधन ।
- (vii) संसद की अन्मान समिति और अन्य समितियां, उनके स्टडी टूर और संबंधित कार्य।
- (viii) हानिकारक/खतरनाक रसायनों के आयात/परीक्षण संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने सहित हानिकारक अवशेषों के प्रबंधन से संबंधित सभी नीतिगत मृद्दे।
- (ix) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के तहत अभिनिषेध और प्रतिबंध।
- (x) सीमा शुल्क से संबंधित सभी विविध मामले, जोकि केवल एक विशेष अनुभाग से अधिक से संबंधित हों।
- (xi) कार्य की उपरोक्त मदों से संबंधित संसद प्रश्न।
- (xii) कस्टम ।।। अनुभाग में शामिल कस्टम विंग के लिए आरआईआई अधिनियम 2005 से संबंधित काम का समन्वय और निगरानी ।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री अनिल कुमार सप्रा,	श्री जुबेर रियाज कामिलि,
सचिव	ओएसडी सीमाशुल्क 4	निदेशक (सीमाशुल्क)
(सीमाशुल्क	दूरभाष सं. 011 2309 5555	दूरभाष सं. 011 2309 3908
IV)	anilksapra1957@gmail.com	फैक्स: 011 2309 2173
	कमरा सं. 229ए, सीबीईसी, राजस्व विभाग,	dircus@nic.in
	नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001	कमरा सं. 227बी, सीबीईसी, राजस्व विभाग,
		नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

- 1. सीमा श्ल्क प्रक्रिया निम्नलिखित के संबंध में है-
  - -बंदरगाहों/हवाई अड्डों/आईसीडी पर माल की निकासी,
  - -सभी सीमा शुल्क हाउसों पर सीमाशुल्क शुल्क वापसी का मामला,
  - -माल का परिवहन,
  - -अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन- कंटेनरिजेशन से संबंधित नियुक्ति और प्रक्रियाएं।
  - -सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय XII के तहत प्रक्रिया और विनियमन सहित तटीय व्यापार ।
  - -क्रियर मोड के माध्यम से माल का आयात।
  - 2. क्योटो सम्मेलन का कार्यान्वयन
  - 3. सीमा श्ल्क फार्मी का मानकीकरण।
  - 4. सीमा श्ल्क अधिकारियों को निर्णय की शक्तियों का प्रत्यायोजन।
  - 5. सीमा श्ल्क अधिनियम, 1962 के तहत अधिकारियों की निय्क्ति।
  - 6. सीमा श्ल्क अधिनियम, 1962 की धारा 20 के तहत भारतीय मूल के सामानों का प्नः आयात करना।
  - 7. निर्यात वस्तुओं पर गुणवता नियंत्रण।
  - 8. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद सलाहकार परिषद, सीमा शुल्क सलाहकार समिति और बंदरगाह सलाहकार सिमिति, विभिन्न स्थायी सिमितियां, आईसीडी/सीएफएस की स्थापना के लिए अंतर-मंत्रालयीन स्थायी सिमिति, कैबिनेट सिचव की अध्यक्षता में निर्यात पदोन्नित बोर्ड से संबंधित मामले।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री क्षितेंद्र वर्मा,	श्री सत्यजीत मोहंती,
सचिव	अवर सचिव, सीमाशुल्क V	निदेशक (आईसीडी)
(सीमाशुल्क	दूरभाष सं. 011 2309 4610	दूरभाष सं. 011 2309 3380
V)	Kshitendra.verma@gmail.com	फैक्स: 011 2309 5438
	कमरा सं. 227ए, सीबीईसी, राजस्व विभाग,	satyajit.mohanty74@nic.in
	नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001	कमरा सं. 49, सीबीईसी, राजस्व विभाग,
		नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

- (i) तदर्थ छूट की नीति तैयार करने सहित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (2) के तहत तदर्थ छूट से संबंधित सभी मामले।
- (ii) टैरिफ मूल्यों के निर्धारण सहित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत मूल्यांकन।
- (iii) विदेशी मुद्राओं के लिए विनिमय दरों की निगरानी और निर्धारण।
- (iv) विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा ड्यूटी फ्री माल/कारों की बिक्री/निपटान।
- (v) एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए/डब्ल्यूटीओ/डब्ल्यूसीओ के संबंध में व्यापार समझौते।
- (vi) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर वीआईपी के लिए कस्टम सुविधाएं और प्रोटोकॉल के प्रावधान सहित कस्टम विशेषाधिकार का प्रावधान।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल

अवर	श्री एस सी गंग्र,	श्री जुबेर रियाज कामिलि,
सचिव	अवर सचिव	निदेशक (सीमाशुल्क)
(सीमाशुल्क	दूरभाष सं. 011 2309 5532	दूरभाष सं. 011 2309 3908
VI)	राजस्व विभाग,  नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-	राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-
	110001	110001

- 1.अधिसूचित हवाई अड्डों के अलावा अन्य स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर विमान के उतरने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करना।
- 2. बैगेज नियमावली, आवास नियमावली का स्थानांतरण, पर्यटक बैगेज नियमावली।
- 3. हवाई अड्डों पर यात्रियों की निकासी से संबंधित मामले।
- 4. हवाई अड्डों पर इंटीग्रिटी मैनेजमेंट -अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तैनात कर्मचारियों और सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को हैंडल करना।
- 5. सोने और चांदी के आयात, अग्नि शस्त्र आदि के आयात आदि से संबंधित नीति ।
- 6. कस्टम हाउस एजेंट लाइसेंसिग विनियामवली।
- 7. पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, आर्म्स अधिनियम, पुरातनता अधिनियम और अन्य संबद्ध अधिनियम।
- 8. अप्रतिलभ्य श्ल्कों तथा दंड और जुर्माने के संबंध में दावों को बट्टे खाते में डालना/छोड़ देना।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री आलोक अग्रवाल,	श्री जुबेर रियाज कामिलि,
सचिव	ओएसडी (सीमाशुल्क-III),	निदेशक (सीमाशुल्क)
(एफटीटी)	नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001	कमरा सं. 227-बी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-
	दूरभाष सं. 011 2309 5557	110001
		दूरभाष सं. 011 2309 3908
		ई-मेल- <u>tircus@nic.in</u>

- (i) सभी नियतकालीन रिपोर्टों और कार्य योजना के माध्यम से बकाया सीमा शुल्क डयूटी तथा लावारिस वस्तुओं के निपटान सहित सभी प्रकार के कार्यों में सीमा शुल्क कार्यालयों के कार्य निष्पादन की निगरानी।
- (ii) सीआरसीएल के कार्य और सीआरसीएल की ब्नियादी स्विधाओं और उपकरणों की आवश्यकताओं की निगरानी।
- (iii) कस्टम विंग में सभी कामों का समन्वय।
- (iv) ट्रेड से प्राप्त सभी परिवाद/शिकायतें।
- (v) लंबित वीआईपी पत्रों, संसदीय आश्वासन, वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन, अन्य नियतकालीन रिटर्न, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट, व्यापार संबंधी आंकड़ों का संचयन।
- (vi) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक कार्य योजना, समय-समय पर रिपोर्ट और रिटर्न, और विविध मामलों का संशोधन ।
- (vii) संसद की अन्मान समिति और अन्य समितियां, उनके स्टडी टूर और संबंधित कार्य।
- (viii) हानिकारक/खतरनाक रसायनों के आयात/परीक्षण संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने सहित हानिकारक अवशेषों के प्रबंधन से संबंधित सभी नीतिगत मृद्दे।

- (ix) सीमा श्ल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के तहत अभिनिषेध और प्रतिबंध।
- (x) सीमा शुल्क से संबंधित सभी विविध मामले, जोकि केवल एक विशेष अनुभाग से अधिक से संबंधित हों।
- (xi) कार्य की उपरोक्त मदों से संबंधित संसद प्रश्न।
- (xii) कस्टम ।।। अनुभाग में शामिल कस्टम विंग के लिए आरआईआई अधिनियम 2005 से संबंधित काम का समन्वय और निगरानी ।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री ए.के गोयल,	श्री जुबेर रियाज कामिलि,
सचिव	कमरा सं. 229-ए, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-	निदेशक (सीमाशुल्क)
(टीयू)	110001	नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001
	दूरभाष सं. 011-23095555	दूरभाष सं. 011 23093908
	ई-मेल- <u>tariffunit-rev@nic.in</u>	ई-मेल- <u>dircus@nic.in</u>

- (i) ड्यूटी के मूल्यांकन के उद्देश्य से आयात और निर्यात किए गए सामानों का वर्गीकरण, अधिनियम, नियम, विनियम, छूट अधिसूचना आदि की व्याख्या और उससे संबंधित टैरिफ सलाह और निर्देश जारी करना।
- (ii) सीमा श्रूक टैरिफ और इसके अद्यतन करने से संबंधित कोई भी विधायी और अन्य प्रारंभिक कार्य।
- (iii) टैरिफ और संबद्ध मामलों पर सीमा श्ल्क आयुक्तों का सम्मेलन।
- (iv) प्रतिपाटन के प्रशासन तथा लेवी, काउंटरवेलिंग तथा रक्षोपाय शुल्कों से संबंधित विधायी कार्य।
- (v) परियोजना आयात।
- (vi) डब्ल्यूसीओ की सामंजस्यपूर्ण सिस्टम कमेटी से संबंधित कार्य।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री अशीम नंदा	श्री सत्यजीत मोहंती,
सचिव	ओएसडी (आईसीडी),	निदेशक (आईसीडी)
(आईसीडी)	दूरभाष सं. 011-23094610	दूरभाष सं. 011-2309 3380
	फैक्सः 011-2309 5438	फैक्स: 011-2309 5438
	aseem.nanda@nic.in	satyajit.mohanty74@nic.in
	कमरा सं. 227-ए, सीबीईसी, राजस्व विभाग नार्थ	कमरा सं. 49, सीबीईसी, राजस्व विभाग,
	ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001	नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

- (i) अन्य विदेशी सरकार के साथ सीमा शुल्क मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता के लिए समझौते और समझौता ज्ञापन।
- (ii) विदेशी सरकारों के साथ क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते, अधिमान्य व्यापार समझौते और **संयुक्त आयुक्त**
- (iii) बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआरएस) विशेष रूप से सीमा उपायों के संबंध में प्रवर्तन पहलुओं से संबंधित सभी मामले।
- (iv) मूल और प्रक्रियाओं के नियमों के निर्धारण और व्याख्या आदि (इन समझौतों के तहत टैरिफ रियायतें देने से संबंधित मामलों को टीआरयू द्वारा संभाला जाएगा)

- (v) ओईसीडी और एएसईएम से संबंधित कार्य को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित कार्य।
- (vi) मेलों और प्रदर्शनियों पर एटीए कार्नेट, नीति तैयार करने और निर्यात अविध के विस्तार और माल की बिक्री के लिए अन्रोध।
- (vii) अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन
- (viii) सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ विदेशों में भारतीय मिशनों में सीमा शुल्क नीति के मामलों और विदेशी सीमा शुल्क प्रशासन के साथ पत्राचार।
- (ix) विदेशों में सीमा शुल्क मामलों पर बैठकों, प्रशिक्षणों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि में उपस्थित होने के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए नामांकन प्रक्रिया।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री टेमस्नारियो जामिर,	श्री सत्यजीत मोहंती,
सचिव	निदेशक (एलसी),	निदेशक (एलसी)
(एलसी)	दूरभाष सं. 011-2309 4012	दूरभाष सं. 011-2309 3380
	temsunaro.jamir@nic.in	फैक्स: 011-23095438
	कमरा सं. 11, आरएसए बैरक, चर्च रोड नार्थ	satyajit.mohanty74@nic.in
	ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001	कमरा सं. 49, सीबीईसी, राजस्व विभाग,
		नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

- (i) भंडारण
- (ii) पोस्ट के माध्यम से आयात और निर्यात
- (iii) बांड और गारंटी
- (iv) अफगानिस्तान, चीन (तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र), नेपाल, भूतान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से संबंधित सभी नीतिगत मामले, व्यापार समझौते और पारगमन व्यवस्था।
- (v) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों की नियुक्ति और घोषणा।
- (vi) उपकर से संबंधित मामले।
- (vii) पर्यटक वाहनों के लिए कार्नेट/ट्रिपटिक्य्।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री थिओडोर टिग्गा,	श्री दिनेश कुमार गुप्ता,
सचिव	निदेशक (डीबीके),	निदेशक (डीबीके)
(डीबीके)	दूरभाष/फेक्स. 011 23341480	दूरभाष/फैक्स. 011-2336 0581
	thedoretiga.edu@nic.in	dirdbk-rev@nic.in
	प्रतिअदायगी अनुभाग, राजस्व विभाग, वित्त	कमरा सं. 3,चतुर्थ जीवनदीप भवन संसद
	मंत्रालय, कमरा सं. 18 डी, चतुर्थ तल जीवनदीप	रोड़, नई दिल्ली- 110001
	भवन संसद रोड़, नई दिल्ली- 110001	

- (i) सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत प्रतिअदायगी नियमावली, 1995, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74-76 के तहत सभी उद्योग दरों के निर्धारण के संबंध में सभी मामले।
- (ii) सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 6 और 7 के तहत प्रतिअदायगी के संबंध में स्पष्टीकरण और निर्देश।
- (iii) सभी उद्योग दर और ब्रांड दर के तहत किए गए दावों की लंबित स्थिति की निगरानी।
- (iv) अग्रिम लाइसेंस/प्राधिकरण योजना, माना गया निर्यात, पूंजीगत वस्तुओं के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना (ईपीसीजी), इनाम योजनाएं, इससे संबंधित छूट संबंधी नोटिफिकेशन जारी करना। उपरोक्त योजनाओं पर वाणिज्य मंत्रालय के साथ समन्वय।
- (v) उपरोक्त विषयों पर संसद प्रश्न, मसौदा लेखापरीक्षा पैरा, पीएसी मामलों, रिटर्न, आंकड़े, रिपोर्ट, विविध मदें (ऊपर क्रम सं 1-4)

पीए द्वारा धारित इसके नियमों, विनियमों, निर्देशों, पुस्तिकाओं और अभिलेखों या उसके नियंत्रण या अपने कर्मचारियों द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किया जाता है।

- (i) सीमा श्ल्क, केंद्रीय उत्पाद श्ल्क और सेवा कर, प्रतिअदायगी नियमावली, 1995।
- (ii) आयातित वस्त्ओं का प्नः निर्यात (सीमाश्ल्क की प्रतिअदायगी) नियमावली, 1995।
- (iii) अधिसूचनाएं, स्पष्टीकरण और ड्राबैक संबंधी निर्देश
- (iv) सभी उदयोग दर और ब्रांड दर के तहत किए गए दावों की लंबित स्थिति की निगरानी के लिए फ़ाइलें।
- (v) अग्रिम लाइसेंस/प्राधिकरण स्कीम, माना गया निर्यात, पूंजीगत वस्तुओं के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना (ईपीसीजी), इनाम योजनाओं के तहत जारी सीमा शुल्क छूट अधिसूचनाएं और परिपत्र
- (vi) संसद प्रश्नों, मसौदा लेखापरीक्षा पैरा, पीएसी मामलों, रिटर्न, आंकड़े, रिपोर्ट, विविध मदों संबंधी फाइलें ।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	सुश्री हिमानी भायना,	श्री राजीव यादव,
सचिव	निदेशक (सेवाकर),	निदेशक (एसटी)
(डीबीके)	दूरभाष/फैक्स. 011 2309 5438	दूरभाष/फैक्स. 011-2309 2747
	himani.bhayana@nic.in	rajeev.yadav68@nic.in
	कमरा सं. 227-ए, सीबीईसी, राजस्व विभाग, नार्थ	कमरा सं. 263 ई, राजस्व विभाग, नार्थ
	ब्लाक, नई दिल्ली- 110 001	ब्लाक, नई दिल्ली- 110 001

- (i) सेवा कर नियमावली, 1994 और प्रक्रिया से जुड़े इसके संबद्ध नियमों में संशोधन ।
- (ii) सेवा कर प्रक्रियात्मक मामलों से संबंधित कार्य जैसे पंजीकरण, मूल्यांकन, जांच, इसके प्रारूप सहित रिटर्न।
- (iii) सेवा कर के कार्य के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की निगरानी; कार्य योजना तैयार करना।
- (iv) सेवा कर राजस्व संग्रहण, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा काम के तकनीकी क्षेत्रों में प्रदर्शन सहित प्रमुख निष्पादन संकेतकों की निगरानी और कार्यान्वयन।
- (v) सरकार द्वारा परिवर्तन से दो साल की अविध के बाद तथा सेवा कर विंग से उत्पन्न मामलों के संबंध में तैयार की गई संवैधानिक वैधता या नीतियों के मामले में अदालतों के समक्ष मुकदमेबाजी के खिलाफ टिप्पणी प्रदान करना ।
- (vi) कर योग्य सेवाओं के संबंध में स्पष्टीकरण या निर्देश जारी करना, जहां कानून में स्पष्ट स्थिति है, जिसे व्यापार या क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उठाया गया है।

- (vii) सेवा कर प्रक्रिया और व्यक्तिगत कर निर्धारिती से संबंधित मुद्दों और उपरोक्त वस्तुओं से जुड़े अन्य कार्यों से संबंधित मामलों पर सीएंडएजी, मसौदा लेखापरीक्षा पैरा, पीएसी उत्तर को प्रस्तुत करना।
- (viii) कार्य की उपरोक्त मदों से संबंधित सभी संसद प्रश्न, शिकायतें, अभ्यावेदन और पूर्वोक्त मदों के साथ जुड़े अन्य कार्य।
- (ix) किसी विविध प्रकृति के काम की कोई अन्य मद, जिसे विशेष रूप से अध्यक्ष (सीबीईसी) या सदस्य (सेवा कर) द्वारा आवंटित किया जाए।

नोट: सर्विस टैक्स से संबंधित सभी कार्य की सभी अन्य मद जिनमें वित्त अधिनियम, 1994 और अन्य कानून, छूट और हास, सर्विस टैक्स पर केन्द्र बजट के लिए तैयारी, माल सेवा कर रोडमैप, राजस्व विश्लेषण, मॉडलिंग, राजस्व लक्ष्यों का निर्धारण, चैंबर और संघों आदि द्वारा संदर्भित मुद्दों पर स्पष्टीकरण शामिल है, को सदस्य (बजट) के प्रभारी के तहत संयुक्त सचिव (टीआरयू-॥) द्वारा सँभाला जाता रहेगा।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा ईमेल	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम		तथा ईमेल
अवर	श्री जय प्रकाश शर्मा,	श्री शिव रतन शर्मा,
सचिव	निदेशक (एडी. II),	निदेशक (एडी. II)
(एडी. II)	दूरभाष/फैक्स. 011 2309 5520	दूरभाष/फैक्स. 011-2309 2401
	sh.jaiprakash@gmail.com	दूरभाषः 23095525
	कमरा सं. 47-बी, सीबीईसी, राजस्व विभाग, नार्थ	dsad2-cbec@nic.in
	ब्लाक, नई दिल्ली- 110 001	कमरा सं. 52-ए, सीबीईसी, राजस्व विभाग,
		नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली- 110 001

- 1. भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा ग्रेड ए से संबंधित निम्नलिखित मामले;
  - (क) भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता;
  - (ख) छुट्टी, पोस्टिंग और स्थानान्तरण;
  - (ग) भर्ती नियम तैयार करना;
  - (घ) (क) पदोन्नति (ख) स्थायीकरण और (ग) ईबी की क्रॉसिंग के लिए डीपीसी का आयोजन;
  - (ङ) प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को ब्रीफ करना;
  - (च) अन्य विभागों में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आदि;
  - (छ) अन्य विभागों को आवेदनों का अग्रेषण
  - (ज) सीसीएस (आचरण) नियमावली;
  - (झ) भारत और विदेश में आईसी और सीई के ग्रेड 'ए' अधिकारियों का प्रशिक्षण;
  - (ञ) विदेशों में अधिकारियों की पोस्टिंग
  - 1. विदेश में प्रतिनियुक्ति/प्रतिनिधिमंडल
  - 2. मेडिकल दावे (केवल 'ए' ग्रेड अधिकारियों के लिए)
  - 3. भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा ग्रेड 'ए' के परिवीक्षार्थियों के लिए विभागीय परीक्षा और परिवीक्षा अविध का विस्तार/पूरा होना।
  - 4. सीबीईसी सिहत विभाग में विभिन्न 'ए' ग्रेड सिचवालय पदों के लिए भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह 'क' के अधिकारियों की नियुक्तियों के लिए प्रस्तावों की प्रोसेसिंग तथा इसके लिए एसीसी/सीईबी अनुमोदन प्राप्त करना।

- 5. उपरोक्त विषयों से संबंधित अदालती मामले।
- 6. उपरोक्त विषयों से संबंधित संसद प्रश्न।
- 7. आईसी और सीई ग्रेड 'ए' के अधिकारियों को प्रैक्टिस/व्यावसायिक रोजगार की अन्मति प्रदान करना।

अनुभाग	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
का नाम	ईमेल	तथा ईमेल
अवर	श्री एस.ए. अंसारी,	श्री ए.के. कासिम,
सचिव	निदेशक और सीपीआईओ (एडी. IIए),	उप सचिव (एडी. IIए)
(एडी. IIए)	दूरभाष. 011-23095520	दूरभाषः 23093102
	saansari1967@gmail.com	akqasim.edu@nic.in
	कमरा सं. 47-बी, सीबीईसी, राजस्व विभाग, नार्थ	कमरा सं. 274-ए, सीबीईसी, राजस्व विभाग,
	ब्लाक, नई दिल्ली- 110 001	नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली- 110 001

- 1. केवल प्रधान आयुक्त/महानिदेशक को गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अर्थात मोटर कार, स्कूटर, मोटर साइकिल और जीपीएफ अग्रिम; तथा यदि कोई छूट हो, तो सभी राजपत्रित अधिकारियों के लिए ।
- 2. सीमा शुल्क समुद्री संगठन (सीएमओ) के केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग/सीमा शुल्क विभाग/अप्रेसर/सुपरिटेंडेड, सीमा शुल्क (पूर्व।)/ग्रुप ए एंड बी में सीएओ (समूह 'क') के लिए भर्ती नियमों को तैयार करना और संशोधन
- 3. सीमा शुल्क विभाग में निम्नलिखित ग्रुप बी/ग्रुप ए कैडर के संबंध में भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता से संबंधित मामले:
- क अप्रेसर
- ख स्परिटेंडेड, सीमा श्ल्क (पूर्व)
- ग एसीएओआईएओ (कस्टम विभाग)
- घ सीएओ (सीमा शुल्क विभाग)
- ङ सीएओ (केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग)
- 4. वेतन निर्धारण अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के संबंध में भुगतान: (नीति पर स्पष्टीकरण)
- 5. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों को अतिरिक्त समयभत्ता- नीति संबंधी
- 6. सीमा श्ल्क विभाग के समूह बी अधिकारियों के बकाया दावे/चिकित्सा दावे (जहां नियमों में छूट आवश्यक है)।
- 7. राजपत्रित और गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में विशेष वेतन;
- 8. राजपत्रित और गैर- राजपत्रित कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन;
- 9. राजपत्रित और गैर- राजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में भत्ते; (नीतिगत मामले)
- 10. हिंदी शिक्षण योजना- हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहन से संबंधित मामले
- 11 सुपरिटेंडेड, सीमा शुल्क (पूर्व), तथा सीमा शुल्क अप्रेसर और सीएओ की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची तैयार करना।
- 12. कार्य की ऊपरी मदों से संबंधित विभागीय परिषद की बैठकों के एजेंडे में शामिल संघ/एसोसिएशन की मांगें और मदें।
- 13. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स विभाग में सीएओ की पदोन्नति, पोस्टिंग, स्थानांतरण तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क विभागों में मुख्य लेखा अधिकारी के संबंध में, डीपीसी की बैठकें आयोजित करना।
- 14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित समूह 'बी' पदों का अनारक्षण और सीमा शुल्क विभाग

में समूह 'बी' की सीधी भर्ती को स्थायी करना। उपरोक्त कार्य की मदों पर कोर्ट केस/ वीआईपी संदर्भ के संबंध में भी।

15. केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी के संबंध में एफआर 49 के अंतर्गत अनुमानित वेतन।

अनुभाग का	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
नाम	ईमेल	तथा ईमेल
अवर सचिव	श्री बी.के. मंथन,	श्री ए.के. कासिम,
(एडी. IIबी)	निदेशक (एडी. IIबी),	उप सचिव (एडी. IIबी)
	दूरभाष. 011-23095584	दूरभाषः 23093102
	bk.manthan@nic.in	akqasim.edu@nic.in
	सीबीईसी, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई	कमरा सं. 274-ए, सीबीईसी, राजस्व विभाग,
	दिल्ली- 110 001	नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली- 110 001

उन विषयों की सूची जिनके दस्तावेज इस अन्भाग के सीपीआईओ के अधिकार में आते हैं

- 1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नारकोटिक्स विभाग, प्रशिक्षण निदेशालय, निरीक्षण निदेशालय, सांख्यिकी तथा आसूचना निदेशालय, संचार निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला और ओ एंड एम सेवाओं के निदेशालय में समूह 'बी' के राजपत्रित अधिकारियों (दोनों कार्यकारी और मंत्रालयी) की नियुक्ति।
- 2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नारकोटिक्स विभाग, निरीक्षण निदेशालय, एसएंडआई निदेशालय, संचार निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला आदि (केवल नीतिगत मामला) में ग्रुप 'बी' पदों की पदोन्नति के लिए डीपीसी।
- 3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ नारकोटिक्स विभाग में समूह 'बी' के राजपत्रित पदों में अस्थायीकरण के खिलाफ अभ्यावेदन/ मेमोरेंडा।
- 4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'बी' के अधीक्षक की अखिल भारतीय सूची तैयार करना और उनसे संबंधित अभ्यावेदन।
- 5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ नारकोटिक्स विभाग में समूह 'बी' पदों में वरिष्ठता के निर्धारण के लिए अभ्यावेदन/ मेमोरेंडा।

6केंद्रीय उत्पाद शुल्क/नारकोटिक्स विभाग में समूह 'बी' राजपत्रित अधिकारियों की पोस्टिंग के बारे में नीति और स्थानांतरण और पोस्टिंग और स्थानांतरण के संबंध में ऐसे समूह 'बी' राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन।

- 7. केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में समूह 'बी' राजपत्रित अधिकारियों की अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति।
- 8. प्रतिकूल टिप्पणी के फैसले के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क/नारकोटिक्स विभाग के समूह 'बी' राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन ।
- 9. जन्म तिथि में बदलाव के लिए समूह 'बी' अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन ।
- 10. दूरसंचार विंग, केंद्रीय राजस्व रासायनिक सेवा के समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभागों के समूह 'बी' राजपत्रित अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति और समयपूर्व सेवानिवृत्ति के खिलाफ अभ्यावेदन।
- 11. केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ नारकोटिक्स विभाग के समूह 'बी' राजपत्रित अधिकारियों की सेवा को बढ़ाना/पुनर्नियुक्ति
- 12. चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग के समूह-बी के राजपत्रित अधिकारियों के अभ्यावेदन।

- 13. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग में समूह 'बी' पदों और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला और दूरसंचार विंग में समूह 'ए' और 'बी' पदों के लिए के लिए भर्ती नियमों को तैयार करना तथा संशोधन।
- 14. केंद्रीय राजस्व रसायन सेवाओं, समूह 'ए' और दूरसंचार सेवा समूह 'ए' में अधिकारियों की पदोन्नति, पोस्टिंग और स्थानान्तरण।
- 15. इस अनुभाग में किए जाने वाले विषयों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुक़दमें/ कैट मामले/रिट याचिकाओं/विशेष रिक्ति याचिकाएं।
- 16. इस अनुभाग में निपटाए जाने वाले विषयों से संबंधित संसद प्रश्न।
- 17. समूह 'बी' अधिकारियों के लिए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति।
- 18. सीआरसीएल तथा सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के दूरसंचार विंग में विभिन्न समूह 'ए' और समूह 'बी' पदों के लिए सीधी भर्ती।
- 19. सीआरसीएल और दूरसंचार विंग में समूह 'ए' पदों तथा सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में सहायक निदेशक (ओएल) पद की पदोन्नित के लिए डी.पी.सी.।

अनुभाग का	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
नाम	ईमेल	तथा ईमेल
अवर सचिव	श्री राजपाल सिंह,	श्रीमती भारती श्रीधर,
(एडी.IIIए)	निदेशक (एडी.IIIए)	उप सचिव [एडी.IIIए/एडी-VIII (ईसी)]
	दूरभाष फैक्स सं. 011 2616 2834	दूरभाष फैक्स सं. 2616 2693
	rajpal.singh68@nic.in	bharativivl@gmail.com
	कमरा सं. 411, चतुर्थ तल, सीबीईसी, ह्डको	पंचम तल, सीबीईसी, हुडको विशाला बिल्डिंग,
	विशाला बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, आर के	भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई
	पुरम, नई दिल्ली	दिल्ली

- विभागीय परीक्षा तथा इसके संबंध में अभ्यावेदन और याचिकाएं।
- 2. विभागीय पदोन्नति समिति विभिन्न ग्रेड में पदोन्नति संबंधी नीति।
- 3. सभी निदेशालयों और आयुक्तालयों के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों से अभ्यावेदन।
- 4. वरिष्ठता नीति और व्यक्तिगत अभ्यावेदन।
- 5. गोपनीय रिपोर्ट नीति और प्रक्रिया और प्रतिकृल टिप्पणियों के खिलाफ अभ्यावेदन ।
- 6. स्थायीकरण-नीति, प्रक्रिया और व्यक्तिगत अभ्यावेदन- समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ'
- 7 आरक्षित कोटा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति तथा गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में रिक्तियों (पदोन्नति पद) का वि-आरक्षण ।
- 8. परिवीक्षा
- 9. कार्य की उपरोक्त मदों से संबंधित संसद प्रश्न।
- 10. कार्य की उपरोक्त मदों से संबंधित कोर्ट मामले।
- 11. विभागीय परिषद के मामले
- 12. अखिल भारतीय महासंघ, कार्यकारी और मंत्रालयी (सीमा श्ल्क और केंद्रीय उत्पाद श्ल्क)
- 13. सीसीएस (डीएसटीएस) नियमावली, 1965 के नियम 5 के तहत सेवाओं को समाप्त करने के खिलाफ अभ्यावेदन।
- 14. सीबीईसी के तहत समूह 'ग' और पूर्ववर्ती 'घ' कर्मचारियों के अंतर-आयुक्तालय स्थानांतरण।

अनुभाग का	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
नाम	ईमेल	तथा ईमेल
अवर सचिव	श्री राजपाल सिंह,	श्री के.जी. मोहंता,
(एडी.IIIबी)	निदेशक (एडी.IIIबी)	उप सचिव (एडी.IIIबी)
	दूरभाष फैक्स सं. 011-2616 2834	दूरभाष सं. 2616 2675
	rajpal.singh68@nic.in	kg.mohanta@nic.in
	भूतल, सीबीईसी, ह्डको विशाला बिल्डिंग,	भूतल, सीबीईसी, हुडको विशाला बिल्डिंग,
	भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली	भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली

- 1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नारकोटिक्स विभाग, प्रशिक्षण निदेशालय, निरीक्षण निदेशालय, सांख्यिकी तथा आसूचना निदेशालय, संचार निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला और ओ एंड एम सेवाओं के निदेशालय में समूह 'बी' के राजपत्रित अधिकारियों (दोनों कार्यकारी और मंत्रालयी) की नियुक्ति।
- 2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नारकोटिक्स विभाग, निरीक्षण निदेशालय, एसएंडआई निदेशालय, संचार निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला आदि (केवल नीतिगत मामला) में ग्रुप 'बी' पदों की पदोन्नित के लिए डीपीसी।
- 3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ नारकोटिक्स विभाग में समूह 'बी' के राजपत्रित पदों में अस्थायीकरण के खिलाफ अभ्यावेदन/ मेमोरेंडा।
- 4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'बी' के अधीक्षक की अखिल भारतीय सूची तैयार करना और उनसे संबंधित अभ्यावेदन।
- 5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ नारकोटिक्स विभाग में समूह 'बी' पदों में वरिष्ठता के निर्धारण के लिए अभ्यावेदन/ मेमोरेंडा।
- 6केंद्रीय उत्पाद शुल्क/नारकोटिक्स विभाग में समूह 'बी' राजपत्रित अधिकारियों की पोस्टिंग के बारे में नीति और स्थानांतरण और पोस्टिंग और स्थानांतरण के संबंध में ऐसे समूह 'बी' राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन।
- 7. केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में समूह 'बी' राजपत्रित अधिकारियों की अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति।
- 8. प्रतिकूल टिप्पणी के फैसले के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क/नारकोटिक्स विभाग के समूह 'बी' राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन ।
- 9. जन्म तिथि में बदलाव के लिए समूह 'बी' अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन ।
- 10. दूरसंचार विंग, केंद्रीय राजस्व रासायनिक सेवा के समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभागों के समूह 'बी' राजपत्रित अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति और समयपूर्व सेवानिवृत्ति के खिलाफ अभ्यावेदन।
- 11. केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ नारकोटिक्स विभाग के समूह 'बी' राजपत्रित अधिकारियों की सेवा को बढ़ाना/पुनर्नियुक्ति।
- 12. चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग के समूह-बी के राजपत्रित अधिकारियों के अभ्यावेदन।
- 13. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग में समूह 'बी' पदों और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला और दूरसंचार विंग में समूह 'ए' और 'बी' पदों के लिए के लिए भर्ती नियमों को तैयार करना तथा संशोधन।
- 14. केंद्रीय राजस्व रसायन सेवाओं, समूह 'ए' और दूरसंचार सेवा समूह 'ए' में अधिकारियों की पदोन्नति, पोस्टिंग और स्थानान्तरण।

- 15. इस अनुभाग में किए जाने वाले विषयों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमें/ कैट मामले/रिट याचिकाओं/विशेष रिक्ति याचिकाएं।
- 16. इस अन्भाग में निपटाए जाने वाले विषयों से संबंधित संसद प्रश्न।
- 17. समूह 'बी' अधिकारियों के लिए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति।
- 18. सीआरसीएल तथा सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के दूरसंचार विंग में विभिन्न समूह 'ए' और समूह 'बी' पदों के लिए सीधी भर्ती।
- 19. सीआरसीएल और दूरसंचार विंग में समूह 'ए' पदों तथा सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में सहायक निदेशक (ओएल) पद की पदोन्नित के लिए डी.पी.सी.।

अनुभाग का	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
नाम	ईमेल	तथा ईमेल
अवर सचिव	श्री वी. जीनखान मंग,	श्री अमरजीत सिंह,
(एडी.IVए)	अवर सचिव (एडी. IVए)	उप सचिव (एडी. IVए)
	दूरभाष/फैक्स सं. 011-2616 2673	दूरभाष फैक्स सं. 2616 2694
	bgmang@yahoo.com	amarjit.s@nic.in
	सी विंग, पंचम तल, सीबीईसी, ह्डको विशाला	छठवा तल, सीबीईसी, ह्डको विशाला बिल्डिंग,
	बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम,	भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली
	नई दिल्ली	

- 1. आचरण नियमावली।
- 2. चरित्र और पूर्ववृत्तों का सत्यापन।
- 3. ड्यूटी के दौरान सरकारी सेवकों के असॉल्ट।
- 4. अग्रिम (वाहन की खरीद के लिए गृह निर्माण अग्रिम, बाढ़ चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए, त्योहार अग्रिम)।
- 5. अनियमित श्रमिकों से संबंधित मामले।
- 6. भर्ती नीति
- 7. भर्ती परीक्षण और पैनल।
- 8. निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) ईओ / पीओ और कर सहायक के पद के लिए एसएससी द्वारा चुने गए उम्मीदवारों का आवंटन।
- 9. प्रशासन ।।। ख अनुभाग में डील किए जाने वाले कैडरों के भर्ती नियम तैयार करना।
- 10. आयु सीमा / शैक्षणिक योग्यता / भौतिक मानकों / टाइपराइटिंग टेस्ट / मेडिकल परीक्षा में छूट
- 11. सीधे भर्ती कोटा के खिलाफ विभागीय उम्मीदवारों की नियुक्ति
- 12. खिलाड़ी की नियुक्ति से संबंधित मामले।
- 13. भर्ती के संबंध में व्यक्तिगत अभ्यावेदन।
- 14. मृतक सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति।
- 15. लीव और कार्यभार ग्रहण करने का समय।
- 16. विदेशी सेवा या अन्यथा की प्रतिनियुक्ति।
- 17. एसोसिएशन/ यूनियनों द्वारा उठाए गए मामलों से संबंधित विषय, जो प्रशासन अनुभाग ।।।ख द्वारा निपटाए जाते हैं।
- 18. गैर राजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और रिश्वतखोरी के संबंध में शिकायतें।
- 19. पंजीकरण

- 20. सेवा का विस्तार और सेवा में पुनर्नियुक्ति।
- 21. बेशी/छटनीकृत कर्मचारियों का आमेलन।
- 22. समूह 'ग' और 'घ' अधिकारियों के जन्म तिथि में परिवर्तन।
- 23. सीधी भर्ती कोटा में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों का वि-आरक्षण।
- 24. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और रखरखाव से संबंधित कार्य और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए डीपीएंडटी और रोस्टर के आयोग को प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिकीय जानकारी का संकलन।
- 25. प्रशासन ॥-ख-अनुभाग से निपटाए गए मामले के संबंध में अदालती मामलों और मुकदमें के नोटिस।
- 26. जी.पी.एफ. खातों के बारे में अभ्यावेदन।

अनुभाग का	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा
नाम	ईमेल	ईमेल
अवर सचिव	श्री ब्रज मोहन,	श्री अजीत गंभीर,
(एडी.IVबी)	अवर सचिव, सीबीईसी,	निदेशक, सीबीईसी,
	पंचम तल, हुडको विशाला बिल्डिंग, भीकाजी	कमरा सं. 608 छठवा तल, ह्डको विशाला बिल्डिंग,
	कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली	भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली

- 1.विभागीय परीक्षा तथा इसके संबंध में अभ्यावेदन और याचिकाएं।
- 2. विभागीय पदोन्नित समिति विभिन्न ग्रेड में पदोन्नित संबंधी नीति।
- 3. सभी निदेशालयों और आयुक्तालयों के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों से अभ्यावेदन।
- 4. वरिष्ठता नीति और व्यक्तिगत अभ्यावेदन।
- 5. गोपनीय रिपोर्ट नीति और प्रक्रिया और प्रतिकृत टिप्पणियों के खिलाफ अभ्यावेदन ।
- 6. स्थायीकरण-नीति, प्रक्रिया और व्यक्तिगत अभ्यावेदन- समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ'
- 7 आरक्षित कोटा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति तथा गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में रिक्तियों (पदोन्नति पद) का वि-आरक्षण ।
- 8. परिवीक्षा
- 9. कार्य की उपरोक्त मदों से संबंधित संसद प्रश्न।
- 10. कार्य की उपरोक्त मदों से संबंधित कोर्ट मामले।
- 11. विभागीय परिषद के मामले
- 12. अखिल भारतीय महासंघ, कार्यकारी और मंत्रालयी (सीमा श्ल्क और केंद्रीय उत्पाद श्ल्क)
- 13. सीसीएस (डीएसटीएस) नियमावली, 1965 के नियम 5 के तहत सेवाओं को समाप्त करने के खिलाफ अश्न्यावेदन।
- 14. सीबीईसी के तहत समूह 'ग' और पूर्ववर्ती 'घ' कर्मचारियों के अंतर-आयुक्तालय स्थानांतरण।

अनुभाग का	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा
नाम	ईमेल	ईमेल
अवर सचिव	श्री बी.के. महंत,	श्री कविंद्र जोशी,
(एडੀ.V)	अवर सचिव, (एडी.V),	उप सचिव, सीबीईसी, (एडी.V),
	दूरभाष सं. 011-2617 1184	दूरभाष फैक्स सं. 011-2617 1183

01126173379 (पै	क्स)	kabindrajoshi 1961@yahoo.co.in
basanta67@gma	il.com	सीबीईसी, ह्डको विशाला बिल्डिंग, भीकाजी कामा
सी विंग छठवा त	न, ह्डको विशाला बिल्डिंग,	प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली
भीकाजी कामा प्लेस	r, आर के पुरम, नई दिल्ली	<u> </u>

- 1. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवाओं के सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों समूह 'क' के अधिकारियों के संबंध में सतर्कता / अन्शासनात्मक मामलों की कार्यवाही।
- 2. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के समूह 'सी' और 'डी' अधिकारियों के खिलाफ सीसीएस (पेंशन) नियमावली के नियम 9 के तहत अन्शासनात्मक मामलों की शुरूआत।
- 3. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के समूह 'बी', 'सी' और 'डी' अधिकारियों द्वारा की गई अपील / संशोधन / समीक्षा याचिका।
- 4. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के राजपत्रित / गैर राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें।
- 5. विभिन्न अन्शासनात्मक अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा।
- 6. कार्य की उपरोक्त मदों से संबद्ध कोर्ट केस।
- 7. काम के उपरोक्त मदों से संबद्ध संसद प्रश्न।

अनुभाग का	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा
नाम	ईमेल	ईमेल
अवर सचिव	श्री वी. जीनखान मंग,	श्रीमती भारती श्रीधर,
(एडੀ.V)	अवर सचिव (एडी. VIII-ईसी)	उप सचिव [एडी.IIIए/एडी-VIII (ईसी)]
	दूरभाष/फैक्स सं. 011-2616 2673	दूरभाष फैक्स सं. 2616 2693
	bgmang@yahoo.com	bharativivl@gmail.com
	सी विंग, पंचम तल, सीबीईसी, हुडको विशाला	पंचम तल, सीबीईसी, हुडको विशाला बिल्डिंग,
	बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम,	भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली
	नई दिल्ली	-

- 1.संगठनात्मक मामले तथा सीमाशुल्क/केंद्रीय उत्पादशुल्क/ नार्कोटिक्स विभाग, निरीक्षण निदेशालय (सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क), राजस्व अधिसूचना विभाग, सांख्यिकीय एवं आसूचना निदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय तथा केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला में पदों के सृजन, अस्थाई पदों के प्रतिधारण में अस्थाई पदों को स्थाई पदों में परिवर्तन से संबंधित मामले।
- 2. एयर कस्टम पूल; केवल पूल के गठन से संबंधित मामले।
- 3. प्रशिक्षण योजना केवल नीतिगत मामले।
- 4. सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के गैर हकदार रापत्रित अधिकारियों द्वारा हवाई यात्रा की मंजूरी।
- 5. सीआरसीएल से संबंधित उपकरणों की खरीद का काम।

अनुभाग का	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
नाम	ईमेल	तथा ईमेल
अवर सचिव	श्री हिमांशु रैना,	श्री जी.जी पाई,
(टीआरय्- I)	तकनीकी अधिकारी (टीआरयू- I),	निदेशक (टीआरयू- I)

दूरभाष. 011-2309 5547	दूरभाष. 011-2309 2753
फैक्सः 011-2309 2037	फैक्सः 011-2309 3215
himanshu.raina@nic.in	ggpai@hotmail.com
कमरा सं. 153, सीबीईसी, राजस्व विभाग,	कमरा सं. 146 जे, सीबीईसी, राजस्व
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली- 110 001	विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली- 110 001

- 1. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से सामान्य छूट की मांग करने वाले व्यापार से प्राप्त सभी अनुरोध तथा सरकार के अन्य विभागों से प्राप्त सिफारिशे।
- 2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 5क(1) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के तहत अधिसूचनाओं का मुद्दा।
- 3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क(i) और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 (i) के अंतर्गत छूट अधिसूचनाओं के दायरे और प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए अधिसूचना जारी करना।
- 4. उपरोक्त अधिसूचनाओं की समीक्षा करना।
- 5. प्रत्येक वस्त् के कराधान के लिए नीति तैयार करना।
- 6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत निर्माण की राशि की किसी भी प्रक्रिया की अधिसूचना।
- 7. एमआरपी आधारित मूल्यांकन के बारे में नीति तैयार करना
- 8. सेवा कर नेट के तहत नई सेवाओं को शामिल करने पर नीति।
- 9. वार्षिक बजट प्रस्ताव तैयार करना
- 10. वित्त बिल से संबंधित कार्य।
- 11. सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की दर बदलने के लिए अन्य कानून से संबंधित कार्य।
- 12. बजट के पूर्व और बाद बाजार की पूछताछ और कीमतों, उत्पादन, उपभोग आदि पर बजट प्रस्तावों के प्रभाव के संबंध में मौके पर अध्ययन।
- 13. कमोडिटी वार बजट अनुमान तैयार करना (विभागीय और अतिरिक्त-विभागीय स्रोतों के आंकड़ों के संग्रह के बाद) और नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी।
- 14. राजस्व लक्ष्य निर्धारित करना।
- 15. एंटी डंपिंग ड्यूटी/ सुरक्षा उपायों की लेवी से संबंधित सभी कार्य।
- 16. अंतर्राष्ट्रीय करार-उनके टैरिफ संबंधित कार्य
- 17. कार्य की उपरोक्त मदों से संबंधित संसद प्रश्न।

अनुभाग का	सीपीआईओ के नाम, पता, दूरभाष सं. तथा	अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता, दूरभाष सं.
नाम	ईमेल	तथा ईमेल
अवर सचिव	डॉ. अभिषेक चंद्र गुप्ता,	श्री प्रमोद कुमार,
(टीआरयू- I I)	तकनीकी अधिकारी (टीआरय्- II),	ओएसडी (टीआरय्- I I)
	दूरभाष. 011-2309 5547	दूरभाष. 2309 2374
	abhishek.gupta81 <u>@nic.in</u>	pramodkumar.dor@nic.in
	कमरा सं. 153, सीबीईसी, राजस्व विभाग,	सीबीईसी, राजस्व विभाग, 146, नार्थ ब्लाक,
	नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली- 110 001	नई दिल्ली- 110 001

उन विषयों की सूची जिनके दस्तावेज इस अनुभाग के सीपीआईओ के अधिकार में आते हैं

सर्विस टैक्स से संबंधित सभी कार्य की सभी अन्य मद जिनमें वित्त अधिनियम, 1994 और अन्य कानून, छूट और ह्रास, सर्विस टैक्स पर केन्द्र बजट के लिए तैयारी, माल सेवा कर रोडमैप, राजस्व विश्लेषण, मॉडलिंग,

राजस्व लक्ष्यों का निर्धारण, चैंबर और संघों आदि द्वारा संदर्भित मुद्दों पर स्पष्टीकरण शामिल है, को सीएक्स -4/सेवा कर अनुभाग को आवंटित नहीं किया गया।